



**AAVAS FINANCIERS LIMITED  
POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND  
“ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”**

**AAVAS FINANCIERS LIMITED**

**KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING MEASURES POLICY**

## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

### 1. Introduction & Regulatory Framework

(i) Aavas Financiers Limited (“**the Company/Aavas**”) is a Housing Finance Company, regulated by Reserve Bank of India (RBI), under the supervision of National Housing Bank (NHB). Accordingly, this Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Policy (“**Policy**”) is formulated in compliance with the following laws, rules, and regulatory directions as amended from time to time:

- Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Know Your Customer) Directions, 2025 as applicable to Housing Finance Companies (HFCs) (“RBI Master Direction),
- Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (“PMLA”),
- Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (“PML Rules”), and
- Applicable circulars, notifications, guidelines, and clarifications issued by RBI, NHB and other statutory authorities.

(ii) The objective of this Policy is to:

- To ensure all necessary Customer Identification Procedures (“CIP”) / Customer Due Diligence (“CDD”)/ Enhanced Due Diligence (“EDD”) measures are followed.
- To reflect Company’s approach to customer due diligence, risk management, record keeping, and reporting obligations.
- To prevent the Company from being used, intentionally or unintentionally, for money laundering, terrorist financing, or proliferation financing.
- To enable the Company to understand its customers and their financial dealings.
- To establish appropriate risk-based controls and due diligence measures.
- To ensure full compliance with applicable regulatory and statutory requirements.

(iii) This Policy has been approved by the **Board of Directors of Aavas Financiers Limited**.

(iv) All extant & future circulars/directions/guidelines/guidance notes issued by NHB/ RBI/ any other regulatory authority, from time to time would be the directing force for the KYC AML Policy of the Company and will super cede the contents of this Policy.

### 2. Definitions

The terms used and not defined in this Policy shall have the same meaning as assigned to them in the RBI Master Direction, as amended from time to time.

(i) ‘**Act**’ and ‘**Rules**’ mean the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 and the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, respectively and amendments thereto.

(ii) ‘**Beneficial Owner (BO)**’:

- a) Where the **customer is a company**, the BO is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical persons, has / have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation: For the purpose of this sub-clause-

- ‘Controlling ownership interest’ means ownership of / entitlement to more than 10 percent of the shares or capital or profits of the company.
- ‘Control’ shall include the right to appoint the majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.

## AAVAS FINANCIERS LIMITED

### POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

- b) Where the **customer is a partnership firm**, the BO is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person(s), has / have ownership of / entitlement to more than 10 percent of capital or profits of the partnership or who exercises control through other means.  
Explanation: For the purpose of this sub-clause, ‘control’ shall include the right to control the management or policy decision.
- c) Where the **customer is an unincorporated association or body of individuals**, the BO is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has / have ownership of / entitlement to more than 15 percent of the property or capital or profits of the unincorporated association or body of individuals.  
Explanation: Term ‘body of individuals’ includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the BO is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.
- d) Where the **customer is a trust**, the identification of BO(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 10 percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
- (iii) **‘Certified Copy’** obtaining the certified copy shall mean comparing the copy of the proof of possession of Aadhaar number (where offline verification cannot be carried out) or the officially valid document produced by the customer with the original, and an authorised officer of the Company shall record the comparison on the copy as per the provisions contained in the Act. Provided that in case of Non-Resident Indians (NRIs) and Persons of Indian Origin (PIOs), as defined in Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 {FEMA 5(R)}, alternatively, the original certified copy, certified by any one of the following, may be obtained:
- a) authorised officials of overseas branches of Scheduled Commercial Banks registered in India,
  - b) branches of overseas banks with whom Indian banks have relationships,
  - c) Notary Public abroad,
  - d) Court Magistrate,
  - e) Judge,
  - f) Indian Embassy / Consulate General in the country where the non-resident customer resides.
- (iv) **‘Central KYC Records Registry (CKYCR)’** means an entity defined under Rule 2(1) of the Rules, to receive, store, safeguard and retrieve the KYC records in digital form of a customer.
- (v) **‘Customer’** means a person who is engaged in a financial transaction or activity with the Company and includes a person on whose behalf the person who is engaged in the transaction or activity, is acting.
- (vi) **‘Customer Due Diligence (CDD)’** means identifying and verifying the customer and the beneficial owner using reliable and independent sources of identification.  
Explanation: The CDD, shall include:
- a) Identification of the customer, verification of their identity using reliable and independent sources of identification, obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship, where applicable;
  - b) Taking reasonable steps to understand the nature of the customer's business, and its ownership and control;
  - c) Determining whether a customer is acting on behalf of a beneficial owner, and identifying the beneficial owner and taking all steps to verify the identity of the beneficial owner, using reliable and independent sources of identification.
- (vii) **‘Customer identification’** means undertaking the process of CDD.



## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

(viii) **‘Designated Director’** means a person designated by Board of Directors of the Company to ensure compliance with obligations imposed under chapter IV of the PML Act and the Rules and shall include the Managing Director or a whole-time Director.

(ix) **‘Digital KYC’** means that an authorised officer of the Company captures a live photo of the customer and officially valid document or the proof of possession of Aadhaar (where offline verification cannot be carried out), along with the latitude and longitude of the location where such live photo is being taken, as per the provisions contained in the Act.

(x) **‘Equivalent e-document’** means an electronic equivalent of a document that the issuing authority of such document issues with its valid digital signature, including documents issued to the digital locker account of the customer as per rule 9 of the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016.

(xi) **‘Know Your Client (KYC) Identifier’** means the unique number or code that the Central KYC Records Registry assigns to a customer.

(xii) **‘Non-face-to-face customers’** means customers who open accounts without visiting the branch / offices of the NBFC or meeting the officials of the Company.

(xiii) **‘Officially Valid Document (OVD)’** means the passport, the driving licence, proof of possession of Aadhaar number, the Voter's Identity Card that the Election Commission of India issues, the job card that NREGA issues and an officer of the State Government duly signs, and the letter that the National Population Register issues containing details of name and address.

Provided that,

- a) where the customer submits his proof of possession of Aadhaar number as an OVD, he may submit it in such form that the Unique Identification Authority of India (UIDAI) issues.
- b) When the customer furnishes an OVD that does not have an updated address, the following documents or the equivalent e-documents thereof shall be deemed to be OVDs for the limited purpose of proof of address:-
  - utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill);
  - property or Municipal tax receipt;
  - pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
  - letter of allotment of accommodation from employer that is issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation;
- c) the customer shall submit OVD with current address within a period of three months of submitting the documents specified at (b) above.

Explanation: For the purpose of this clause, the Company shall deem a document to be an OVD even if there is a change in the name subsequent to its issuance provided that it is supported by a marriage certificate that the State Government issues or a Gazette notification, indicating such a change of name.

(xiv) **‘Offline verification’** shall have the same meaning as assigned to it in clause (pa) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (“**Aadhaar Act**”).



## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

(xv) **‘On-going Due Diligence’** means regular monitoring of transactions in accounts to ensure that transactions are consistent with the Company’s knowledge about the customers, customers’ business and risk profile, the source of funds / wealth.

(xvi) **‘Periodic Updation’** means the steps taken to ensure that documents, data or information collected under the CDD process are kept up-to-date and relevant by undertaking reviews of existing records at the periodicity prescribed by the RBI.

(xvii) **‘Person’** has the same meaning assigned in the Act and includes:

- a) an individual,
- b) a Hindu undivided family,
- c) a company,
- d) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not,
- e) every artificial juridical person, not falling within any one of the above persons (a to e), and
- f) any agency, office or branch owned or controlled by any of the above persons (a to f).

(xviii) **‘Principal Officer’** means an officer appointed by Board of Directors of the Company, at the management level, responsible for furnishing information as per rule 8 of the Rules.

(xix) **‘Suspicious transaction’** means a ‘transaction’ as defined below, including an attempted transaction, whether or not made in cash, which, to a person acting in good faith:

- a) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of an offence specified in the Schedule to the Act, regardless of the value involved; or
- b) appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity; or
- c) appears to have no economic rationale or bona fide purpose; or
- d) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to terrorism.

Explanation: Transaction involving financing of the activities relating to terrorism includes transaction involving funds that the NBFC suspects are linked or related to, or to be used for terrorism, terrorist acts or by a terrorist, terrorist organisation or those who finance or are attempting to finance terrorism. (xix) ‘Transaction’ means a purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery or the arrangement thereof and includes:

(xx) **‘Video based Customer Identification Process (V-CIP)’**: An alternative method by which an authorised official of the Company conducts customer identification with facial recognition and customer due diligence. This process involves a seamless, secure, live, informed- consent based audio-visual interaction with the customer to obtain identification information required for CDD purpose, and to ascertain the veracity of the information which the customer furnished, through independent verification and by maintaining an audit trail of the process.

(xxii) **‘Walk-in Customer’** means a person who does not have an account-based relationship with the Company, but undertakes transactions with it.

### **3. Elements of Policy**

The KYC policy includes following four key elements:

- (i) Customer Acceptance Policy
- (ii) Risk Management
- (iii) Customer Identification Procedures (CIP); and
- (iv) Monitoring of Transactions

#### **4. Customer Acceptance Policy**

Without prejudice to the generality of the aspect that Customer Acceptance Policy may contain, the Company shall ensure that:

- (i) No account is opened in anonymous or fictitious/benami name;
- (ii) No account is opened where the Company is unable to apply appropriate CDD measures, either due to non-cooperation of the customer or non-reliability of the documents/information furnished by the customer. The Company shall consider filing an STR, if necessary, when it is unable to comply with the relevant CDD measures in relation to the customer.
- (iii) No transaction or account-based relationship is undertaken without following the CDD procedure.
- (iv) Customer/ Authorised signatory must be a major (i.e., 18 years or above) and must not be incapacitated for entering into a contract as per Indian Contract Act.
- (v) Name / identity of the customer/ Authorised signatory/ Beneficial owner should not appear / match with any person or entity, whose name appears in the sanctions lists / designated lists/ other lists as circulated by United Nations Security Council (UNSC) / RBI / FIU-IND / any other regulatory authority, as amended from time to time.
- (vi) The mandatory information to be sought for KYC purpose while opening a loan account and during the periodic updation, are as specified in this policy.
- (vii) Optional additional information, is obtained with the explicit consent of the customer after the loan account is opened.
- (viii) A Unique Customer Identification Code (UCIC) shall be allotted while entering into new relationships with customers (individual as well as non-individuals) as also the existing customers.
- (ix) The Company shall apply the CDD procedure at the Unique Customer Identification Customer (UCIC) level. Thus, if an existing KYC-compliant customer of the Company desires to open another account or avail of any other product or service from the Company, there shall be no need for a fresh CDD exercise as far as identification of the customer is concerned.
- (x) CDD Procedure is followed for all the joint loan account holders, while applying in joint.
- (xi) Circumstances in which, a customer is permitted to act on behalf of another person/ entity, are clearly spelt out in the policy.
- (xii) Where Permanent Account Number (PAN) is obtained, the same shall be verified from the verification facility of the issuing authority.
- (xiii) Where an equivalent e-document is obtained from the customer, the Company shall verify the digital signature as per the provisions of the Information Technology Act, 2000.
- (xiv) Where Goods and Services Tax (GST) details are available, the GST number shall be verified from the search/verification facility of the issuing authority
- (xv) Customer / Authorised signatory/Beneficial Owner classified as fraud by the Company or any other financial entity regulated by RBI or also entities and persons associated with such entities shall be treated as per the board approved Fraud Risk Management Policy.

It is important to note that the adoption of Customer Acceptance Policy and its implementation should not result in denial of services to general public, especially to those, who are financially or socially disadvantaged, including the Persons with Disabilities (PwDs).

Where, the Company forms a suspicion of money laundering or terrorist financing, and reasonably believes that performing the CDD process will tip-off the customer, it shall not pursue the CDD process, and instead file a suspicious transaction report ("STR") with FIU-IND



## **5. Risk Management**

For Risk Management, the Company shall have a risk-based approach which includes the following:

- (i) Customers shall be categorized as low, medium and high risk category, based on the assessment and Risk perception of the HFC.
- (ii) Board approved Credit Policy of the Company prescribes the broad principles for the risk-categorisation of customers.
- (iii) These principles shall be based on parameters such as customer's identity, social/ financial status, nature of business activity and information about the clients' business and their location, geographical risk covering customers as well as transactions, type of products/services offered, delivery channel used for delivery of products/services, types of transaction undertaken – cash, cheque/ monetary instruments, wire transfers, forex transactions, etc. While considering customer's identity, the ability to confirm identity documents through online or other services offered by issuing authorities may also be factored in.
- (iv) The risk categorization of a customer and the specific reasons for such categorization shall be kept confidential and shall not be revealed to the customer to avoid tipping off the customer.

Provided that various other information collected from different categories of customers relating to the perceived risk, is non-intrusive and the same is specified in this policy and the Credit policy.

The Company may use the Financial Action Task Force (FATF) Public Statement, the reports and guidance notes on KYC/AML issued by the Indian Banks Association (IBA), and other agencies etc. in its risk assessment.

### **5A. Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment by the Company:**

- (i) The Company shall carry out ‘Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) Risk Assessment’ exercise periodically (at least annually) to identify, assess and take effective measures to mitigate its money laundering terrorist financing risk for clients, countries or geographic areas, products, services, transactions or delivery channels, etc.
- (ii) The assessment process shall consider all the relevant risk factors before determining the level of overall risk and the appropriate level and type of mitigation to be applied. While preparing the internal risk assessment, the Company shall take cognizance of the overall sector-specific vulnerabilities, if any, that the regulator/supervisor may share with the Company from time to time.
- (iii) The risk assessment shall be properly documented, and it shall be proportionate to the nature, size, geographical presence, complexity of activities / structure, etc. of the Company.
- (iv) The outcome of the exercise shall be put up to the Risk Management committee of the Board and should be available to competent authorities and self-regulating bodies.
- (v) The Company shall apply a Risk Based Approach (RBA) for mitigation and management of the identified risk, in line with this policy. The Company shall implement a CDD programme, having regard to the ML/TF risks identified (by the Company itself) and the size of business, for mitigation and management of the identified risk. Further, the Company shall monitor the implementation of the controls and enhance them if necessary.

## **6. CUSTOMER IDENTIFICATION PROCEDURE (CIP)**

The Company shall undertake identification of customers in the following cases:

- (i) Commencement of an account-based relationship with the customer.
- (ii) When there is a doubt about the authenticity or adequacy of the customer identification data it has obtained.

For the purpose of verifying the identity of customers at the time of commencement of an account-based relationship, the Company may rely on CDD done by a third party, subject to the following conditions:

- (i) The Company shall immediately obtain records or the information of the customer due diligence carried out by the third party either from the third party or from the CKYCR records.
- (ii) The Company shall take adequate steps to satisfy itself that copies of identification data and other relevant documentation relating to the customer due diligence requirements shall be made available from the third party upon request without delay.
- (iii) The third party is regulated, supervised or monitored, and has measures in place for compliance with customer due diligence and record-keeping requirements in line with the requirements and obligations under the PML Act.
- (iv) The third party is not based in a country or jurisdiction assessed as high risk.
- (v) The Company is ultimately responsible for CDD and undertaking enhanced due diligence measures, as applicable.

While undertaking customer identification through third parties, the Company shall ensure that the decision-making functions of determining compliance with KYC norms are not outsourced.

#### **6A. CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) PROCEDURE**

##### **Part- I CDD Procedure in case of individuals**

The Company shall obtain the following from an individual while carrying out CIP or while dealing with the individual who is a beneficial owner, authorized signatory or the power of attorney holder related to any legal entity:

- (i) the Aadhaar number where,
  - a) they are desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar Act; or
  - b) they decide to submit their Aadhaar number voluntarily to the Company; or

Provided that, the Company shall carry out authentication of the customer's Aadhaar number using UIDAI's e-KYC authentication facility. Further, in such a case, if customer wants to provide a current address, different the address as per the identity information available in the Central Identities Data Repository, he may give a self-declaration to that effect.

- (ii) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification can be carried out; or  
Provided that, the Company shall carry out such offline verification.
- (iii) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification cannot be carried out or any OVD or the equivalent e-document thereof containing the details of his identity and address; or

Provided that, in case customer submits an equivalent e-document of any OVD, the Company shall verify the digital signature as per the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and any rules issues thereunder and take a live photo as specified under Digital KYC Process and its rules and regulations reproduced under **Annexure-A**.

Provided further that in case customer submits any OVD or proof of possession of Aadhaar number, where offline verification cannot be carried out, the Company shall carry out verification through digital KYC process and its rules and regulations reproduced under **Annexure-A**.

- (iv) the KYC Identifier with an explicit consent to download records from CKYCR;  
Provided that the Company shall retrieve the KYC records online from the CKYCR in accordance with the rules prescribed for sharing KYC information with CKYCR.  
and





## **AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”**

- (v) the PAN or the equivalent e-document thereof or Form No. 60 as defined in Income-tax Rules, 1962; and
- (vi) such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the customer, or the equivalent e-documents thereof as may be required by the Company as per its Credit Policy.

Provided that for a period not beyond such date as may be notified by the Government for a class of REs, instead of carrying out digital KYC, the Company may obtain a certified copy of the proof of possession of Aadhaar number or the OVD and a recent photograph where an equivalent e-document is not submitted.

Provided further that in case e-KYC authentication cannot be performed for an individual desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar Act owing to injury, illness or infirmity on account of old age or otherwise, and similar causes, the Company shall, apart from obtaining the Aadhaar number, perform identification preferably by carrying out offline verification or alternatively by obtaining the certified copy of any other OVD or the equivalent e-document thereof from the customer. CDD done in this manner shall invariably be carried out by an official of the Company and such exception handling shall also be a part of the internal audit. The Company shall ensure to duly record the cases of exception handling in a centralized exception database. The database shall contain the details of grounds of granting exception, customer details, name of the designated official authorizing the exception and additional details, if any. The database shall be subjected to periodic internal audit/inspection and shall be available for supervisory review.

V-CIP process, as prescribed under the RBI Master Direction from time to time, may also be carried out as part of customer identification process, if deemed appropriate.

Explanation 1: The Company shall, where its customer submits a proof of possession of Aadhaar Number, ensure that such customer redacts or blacks out his Aadhaar number through appropriate means where the authentication of Aadhaar number is not required.

Explanation 2: The Company can perform biometric based e-KYC authentication, including Aadhaar Face Authentication.

Explanation 3: The use of Aadhaar, proof of possession of Aadhaar etc., shall be in accordance with the Aadhaar Act and the regulations made thereunder.

Explanation 4: Aadhaar number is not mandatory for purposes of KYC. However, in case the customer is desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar Act, the customer shall provide the Aadhaar number. In other cases, customers may provide the Aadhaar number voluntarily.

KYC verification once done by one branch of the Company shall be valid for transfer of the account to any other branch of the Company, provided the Company has already completed the full KYC verification for the concerned account and the same is not due for periodic updation.

### **Part- II CDD Measures for Sole Proprietary Firms**

For opening an account in the name of a sole proprietary firm, the Company shall carry out the CDD of the individual (proprietor).

In addition to the above, any two of the following documents as a proof of business/ activity in the name of the proprietary firm shall also be obtained:

- a) Registration certificate including Udyam Registration Certificate (URC) issued by the Government.
- b) Certificate/licence issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act.
- c) Sales and income tax returns.
- d) CST/VAT/GST certificate.

## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

- e) Certificate/registration document issued by Sales Tax/Service Tax/Professional Tax authorities.
- f) IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT/Licence/ Certificate of Practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute.
- g) Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated/acknowledged by the Income Tax authorities.
- h) Utility bills such as electricity, water, and landline telephone bills.

In cases where the Company is satisfied that it is not possible to furnish two such documents, the Company may, at their discretion, accept only one of those documents as proof of business/activity.

Provided that the Company undertakes contact point verification and collect such other information and clarification as would be required to establish the existence of such firm, and shall confirm and satisfy itself that the business activity has been verified from the address of the proprietary concern.

### Part- III CDD Measures for Legal Entities

- (i) For opening an account of a company, the Company shall obtain certified copy of each of the following documents:
  - a) Certificate of incorporation;
  - b) Memorandum and Articles of Association;
  - c) PAN of the company;
  - d) A resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf;
  - e) Documents, as required for CDD Procedure in case of individuals, relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on the company's behalf
  - f) The names of the relevant persons holding senior management position;
  - g) The registered office and the principal place of its business, if it is different.
- (ii) For opening an account of a partnership firm, the Company shall obtain certified copy of each of the following documents:
  - a) Registration certificate;
  - b) Partnership deed;
  - c) PAN of the partnership firm;
  - d) Documents, as required for CDD Procedure in case of individuals, relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf;
  - e) the names of all the partners;
  - f) address of the registered office, and the principal place of its business, if it is different.
- (iii) For opening an account of a trust, the Company shall obtain certified copy of each of the following documents:
  - a) Registration certificate;
  - b) Trust deed;
  - c) PAN or Form No.60 of the trust;
  - d) Documents, as required for CDD Procedure in case of individuals, relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf
  - e) The names of the beneficiaries, trustees, settlor, protector, if any and authors of the trust
  - f) The address of the registered office of the trust; and

- g) List of trustees and documents, as required for CDD Procedure in case of individuals, for those discharging role as trustee and authorised to transact on behalf of the trust.
- h) In case a customer is non-profit organisations, it shall be registered on the DARPAN Portal of NITI Aayog. If it is not registered, the Company shall register the details on the DARPAN Portal.
- (iv) For opening an account of an unincorporated association or a body of individuals, the Company shall obtain certified copy of each of the following documents:
  - a) Resolution of the managing body of such association or body of individuals;
  - b) PAN or Form No.60 of the unincorporated association or a body of individuals;
  - c) Power of attorney granted to transact on its behalf;
  - d) Documents, as required for CDD Procedure in case of individuals, relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf
  - e) Such information as may be required by the Company to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals.

Explanation: Unregistered trusts/partnership firms shall be included under the term 'unincorporated association' and the term 'body of individuals', includes societies

- (v) For opening accounts of juridical persons (not specifically covered in the earlier part) such as societies, universities and local bodies like village panchayats etc., or who purports to act on behalf of such juridical person or individual or trust, the Company shall obtain certified copy of each of the following documents:
  - a) Document showing name of the person authorised to act on behalf of the entity;
  - b) Documents, as required for CDD Procedure in case of individuals, of the person holding an attorney to transact on its behalf and
  - c) Such documents as may be required by the Company to establish the legal existence of such an entity/juridical person.

#### **Part-IV CDD Measures for Beneficial Owner**

For opening an account of a Legal Person who is not a natural person, the beneficial owner(s) shall be identified and all reasonable steps in terms of Rule 9(3) of the Rules to verify his/her identity shall be undertaken keeping in view the following:

- (i) Where the customer or the owner of the controlling interest is:
  - a) an entity listed on a stock exchange in India, or
  - b) it is an entity resident in jurisdictions notified by the Central Government and listed on stock exchanges in such jurisdictions, or
  - c) it is a subsidiary of such listed entities; it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such entities.
- (ii) In cases of trust/nominee or fiduciary accounts, whether the customer is acting on behalf of another person as trustee/nominee or any other intermediary is determined. In such cases, satisfactory evidence of the identity of the intermediaries and of the persons on whose behalf they are acting, as also details of the nature of the trust or other arrangements in place shall be obtained.

### **7. Monitoring of Transactions**

#### **7A. On-going Due Diligence Measures**

The Company shall undertake on-going due diligence of customers to ensure that their transactions are consistent with their knowledge about the customers, customers' business and risk profile, the source of funds/wealth.



## **AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”**

Without prejudice to the generality of factors that call for close monitoring, following types of transactions shall necessarily be monitored:

- (i) Large and complex transactions including RTGS transactions, and those with unusual patterns, inconsistent with the normal and expected activity of the customer, which have no apparent economic rationale or legitimate purpose.
- (ii) Transactions which exceed the thresholds prescribed for specific categories of accounts.

For on-going due diligence, the Company may consider adopting appropriate innovations including artificial intelligence and machine learning (AI and ML) technologies to support effective monitoring. The extent of monitoring shall be aligned with the risk category of the customer.

A system of periodic review of risk categorisation of accounts at least once in six months, and the need for applying enhanced due diligence measures shall be put in place. High risk accounts have to be subjected to more intensified monitoring.

### **7B. Reporting to Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND)**

The Company shall comply with the reporting requirements prescribed under the PML Act and the PML Rules, and shall furnish to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), all information relating to transactions specified under Rule 3, in accordance with Rule 7 thereof and the guidelines issued by FIU-IND from time to time.

The Company shall adhere to the prescribed reporting formats, reporting format guides, and utilise the Report Generation Utility and Report Validation Utility or other electronic utilities made available by FIU-IND for timely filing of Cash Transaction Reports (CTR), Suspicious Transaction Reports (STR) and Counterfeit Currency Report (CCR).

The Principal Officer shall ensure appropriate arrangements for collection and electronic submission of transaction data, including from non-computerised branches, if any. Any delay in reporting or rectification of misreported transactions beyond the prescribed timelines shall be treated as a separate violation for each day of delay. Filing of STRs shall not result in restriction of customer account operations. The Company, its directors, officers and employees shall maintain strict confidentiality regarding the maintenance and furnishing of records to FIU-IND, without prejudice to internal sharing of analysis of unusual or suspicious transactions as permitted under applicable directions.

The Company shall also report the details of accounts resembling any of the individuals/entities in the sanction lists as per Para 7C and 7D below to FIU-IND.

### **7C. Obligations under the Unlawful Activities (Prevention) (UAPA) Act, 1967**

The Company shall ensure that in terms of section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) (UAPA) Act, 1967 and amendments thereto, it does not have any account in the name of individuals / entities appearing in the lists of individuals and entities, suspected of having terrorist links, which are approved by and periodically circulated by the United Nations Security Council (UNSC), namely the 'ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List' and the 'Taliban Sanctions List (1988 Sanctions List)'.

The Company shall also ensure to refer to the lists as available in the Schedules to the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, as amended from time to time. The Company shall verify the aforementioned lists, i.e., UNSC Sanctions Lists and lists as available in the Schedules to



## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, as amended from time to time, on a daily basis, and any modifications to the lists in terms of additions, deletions or other changes shall be taken into account by the Company for meticulous compliance.

Details of accounts resembling any of the individuals/entities in the lists shall be reported to FIU-IND apart from advising Ministry of Home Affairs as required under UAPA notification.

### **7D. Obligations under Weapons of Mass Destruction (WMD) and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (WMD Act, 2005)**

The Company shall ensure compliance with the “Procedure for Implementation of Section 12A of the Weapons of Mass Destruction (WMD) and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005” laid down in terms of Section 12A of the WMD Act, 2005 vide Order dated January 30, 2023, by the Ministry of Finance, Government of India. The Company shall ensure not to carry out transactions in case the particulars of the individual / entity match with the particulars in the designated list.

Customers shall be screened at onboarding and on an ongoing basis against the designated lists issued by FIU-India, applicable other UNSCRs, and relevant schedules under the UAPA, 1967, and no transactions shall be carried out where a match is identified.

In case of a match or where there is reason to believe that funds or assets fall within the scope of Section 12A of the WMD Act, the Company shall immediately prevent transactions, report full particulars to the Central Nodal Officer (Director, FIU-IND) with copies to the State Nodal Officer and RBI, and promptly comply with all directions relating to freezing or unfreezing of assets in accordance with the prescribed procedure.

The Company shall verify every day, the ‘UNSCR 1718 Sanctions List of Designated Individuals and Entities’, to take into account any modifications to the list and also ensure compliance with the ‘Implementation of Security Council Resolution on Democratic People’s Republic of Korea Order, 2017’, as amended from time to time.

### **8. Updation/ Periodic Updation of KYC**

For the purpose of effective monitoring of KYC, the Company shall adopt a risk-based approach for periodic updation of KYC, ensuring that the information or data collected under CDD is kept up-to-date and relevant, particularly where there is high-risk.

The Company shall carry out periodic updation of KYC as per below grid from the date of opening of the account / last KYC updation, as per the following procedure:

Risk Category	Periodic Updation of KYC
High	2 years
Medium	8 years
Low	10 years

#### **(i) Individuals:**

*No change in KYC information:* In such case, the Company shall obtain a self-declaration in this regard from the customer through the Aavas Loan App or by logging into the loan account on the Aavas website, using the mobile number registered with the Company.

*Change in address or KYC information:* In such case, the Company shall obtain a copy of OVD, deemed OVD or the equivalent e-documents thereof, for the purpose of proof of address, declared by the customer at

## AAVAS FINANCIERS LIMITED

### POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

the time of updation / periodic updation. Customers can submit a copy of OVD by personally visiting any branch of the Company.

The Company may also use Aadhaar OTP based e-KYC in non-face-to-face mode for updation / periodic updation. Declaration of current address, if the current address is different from the address in Aadhaar, shall not require positive confirmation in this case. The Company shall ensure that the mobile number for Aadhaar authentication is same as the one available with it in the customer's profile, in order to prevent any fraud.

**(ii) Customers other than individuals:**

*No change in KYC information:* In such case, the Company shall obtain a self-declaration in this regard from the customer through the Aavas Loan App or by logging into the loan account on the Aavas website, using the mobile number or email id registered with the Company. Further, the Company shall ensure during this process that Beneficial Ownership information available with them is accurate and shall update the same, if required, to keep it as up-to-date as possible.

*Change in KYC information:* In such case, the Company shall undertake the KYC process equivalent to that applicable for onboarding a new customer.

**(iii) Additional measures:** In addition to the above, the Company shall ensure that:

- a) The KYC documents of the customer as per the current CDD standards are available with them. Further, in case the validity of the CDD documents available with the Company has expired at the time of periodic updation of KYC, the Company shall undertake the KYC process equivalent to that applicable for on boarding a new customer.
- b) The Company shall verify the Customer's PAN details, if available, from the database of the issuing authority.
- c) Acknowledgment is provided to the customer mentioning the date of receipt of the relevant document(s), including self-declaration from the customer, for carrying out updation /periodic updation. Further, it shall be ensured that the information / documents obtained from the customers at the time of updation/ periodic updation of KYC are promptly updated in the records / database of the Company and an intimation, mentioning the date of updation of KYC details, is provided to the customer.
- d) The facility of updation / periodic updation of KYC is available at all branches.
- e) The Company shall advise the customers that in order to comply with the PML Rules, in case of any update in the documents submitted by the customer at the time of establishment of business relationship/ account-based relationship and thereafter, as necessary; customers shall submit to the Company the update of such documents within 30 days for the purpose of updating the records at Company's end.
- f) Due Notices for Periodic Updation of KYC (With effect from January 1, 2026)
  - At least three advance intimations (1 by letter) prior to the due date and at least 3 reminders (1 by letter) after the due date shall be sent to the customers.
  - Such intimations/ reminders shall be duly recorded for audit trail.
  - The letter of intimation/ reminder may, inter alia, contain easy to understand instructions for updating KYC, escalation mechanism for seeking help, if required, and the consequences, if any, of failure to update their KYC in time.
- g) Periodic Updation of KYC shall be carried out at the UCIC level.

**(iv)** In case of existing customers, the Company shall obtain the PAN or equivalent e-document thereof or Form No.60, by such date as may be notified by the Central Government, failing which the Company shall



## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

temporarily cease operations in the account until the customer submits the PAN or equivalent e-documents thereof or Form No. 60.

Provided that before temporarily ceasing operations for an account, the Company shall give the customer an accessible notice and a reasonable opportunity to be heard. Further, appropriate relaxation(s) shall be given, as per internal policy, for continued operation of accounts for customers who are unable to provide PAN or equivalent e-document thereof or Form No. 60 owing to injury, illness or infirmity on account of old age or otherwise, and such like causes. Such accounts shall, however, be subject to enhanced monitoring.

Provided further that if a customer having an existing account-based relationship gives in writing to the Company that he does not want to submit his PAN or equivalent e-document thereof or Form No.60, the Company shall close the account and all obligations due in relation to the account shall be appropriately settled after establishing the identity of the customer by obtaining the identification documents as applicable to the customer.

For the purpose of this Section, “temporary ceasing of operations” in relation an account shall mean the temporary suspension of all transactions or activities in relation to that account till such time the customer complies with the provisions of this Section.

### **9. Compliance of KYC policy:**

- (i) 'Senior Management' for the purpose of KYC compliance shall mean:
  - a) Chief Credit Officer, for ensuring implementation of KYC policies and procedures and ensuring compliance with the regulatory guidelines on KYC/ AML issued from time to time.
  - b) Head of Operations, for maintaining all KYC records of the borrowers.
- (ii) Allocation of responsibility for effective implementation of policies and procedures.
- (iii) The Company shall ensure independent evaluation of the compliance functions of its policies and procedures, including legal and regulatory requirements.
- (iv) The internal auditor needs to quarterly update to the Audit Committee on the compliance with KYC/Anti-Money Laundering (AML) policies and procedures.
- (v) Audit Committee shall be reported in the form of a note on a quarterly basis about the status of KYC Compliance in accordance with this policy.
- (vi) The Company shall ensure that the decision-making functions of determining compliance with KYC norms are not outsourced.

### **10. Enhanced Due Diligence Procedure (EDD)**

#### **10A. EDD in case of Non-face-to-face customer onboarding:**

Non-face-to-face onboarding would include customer onboarding without meeting the customer physically or through V-CIP. Non-face-to-face would include use of digital channels such as CKYCR, DigiLocker, equivalent e-document, etc., and non-digital modes such as obtaining copy of OVD certified by additional certifying authorities as allowed for NRIs and PIOs, where there is no physical interaction with the customer.

Following EDD measures shall be undertaken by the Company for non-face-to-face customer onboarding.

- (i) V-CIP shall be provided as the first option to the customer for remote onboarding.

## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

- (ii) In order to prevent frauds, alternate mobile numbers shall not be linked post CDD with such accounts for transaction OTP, transaction updates, etc. Transactions shall be permitted only from the mobile number used for account opening.
- (iii) Apart from obtaining the current address proof, the Company shall verify the current address through positive confirmation such as address verification letter, contact point verification, deliverables, etc. before disbursement of the loan.
- (iv) PAN shall be mandatory in such cases and it shall be verified from the verification facility of the issuing authority.
- (v) The Company shall ensure that first transaction in such accounts is a credit from existing KYC-complied bank account of the customer.
- (vi) Such customers shall be categorized as high-risk customers and accounts opened in non-face to face mode shall be subjected to enhanced monitoring until the identity of the customer is verified in face-to face manner or through V-CIP.

### **10B. Accounts of Politically Exposed Persons (PEPs):**

- (i) The company shall have the option of establishing a relationship with PEPs (whether as customer or beneficial owner) provided that apart from performing normal customer due diligence:
  - a) The Company has in place appropriate risk management systems to determine whether the customer or the beneficial owner is a PEP;
  - b) Reasonable measures are taken by the Company for establishing the source of funds / wealth;
  - c) the approval to open an account for a PEP is taken from the senior management.
  - d) all such accounts are subjected to enhanced monitoring on an on-going basis;
  - e) in the event of an existing customer or the beneficial owner of an existing account subsequently becoming a PEP, senior management's approval is obtained to continue the business relationship;
- (ii) These instructions shall also be applicable to family members or close associates of PEP.

Explanation: For the purpose of this paragraph, “PEPs are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the Heads of States/Governments, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state-owned corporations and important political party officials.”

### **10C. Customer's accounts opened by Professional Intermediaries**

The Company shall ensure while opening customer's accounts through professional intermediaries, that:

- (i) Customer shall be identified when client account is opened by a professional intermediary on behalf of a single client.
- (ii) The Company shall have option to hold 'pooled' accounts managed by professional intermediaries on behalf of entities like mutual funds, pension funds or other types of funds.
- (iii) The Company shall not open accounts of such professional intermediaries who are bound by any client confidentiality that prohibits disclosure of the client details to the HFC.
- (iv) All the beneficial owners shall be identified where funds held by the intermediaries are not co-mingled at the level of the Company, and there are 'subaccounts', each of them attributable to a beneficial owner, or where such funds are co-mingled at the level of HFC, the Company shall look for the beneficial owners.
- (v) The Company shall, at their discretion, rely on the CDD done by an intermediary, provided that the intermediary is a regulated and supervised entity and has adequate systems in place to comply with the KYC requirements of the customers.
- (vi) The ultimate responsibility for knowing the customer lies with the Company.

**10D. Jurisdictions that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations**

The Company shall consider the FATF Statements circulated by the RBI from time to time, and publicly available information, to identify jurisdictions that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations. The Company shall apply enhanced due diligence measures, commensurate with the assessed risks, to business relationships and transactions involving natural or legal persons (including financial institutions) from such jurisdictions, and shall give special attention to such relationships and transactions. The Company shall examine the background and purpose of these transactions, maintain written records of its findings along with supporting documentation, and make the same available to the RBI or other relevant authorities upon request, without restricting legitimate trade or business activities.

**11. Record Management**

The Company shall take the following steps regarding maintenance, preservation and reporting of customer information, with reference to provisions of PML Act and Rules.

- (i) Records of all transactions between the Company and the customers, shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction, including but not limited to, the nature of the transactions, the amount of the transaction and the currency in which it was denominated, the date on which the transaction was conducted and the parties to the transaction.
- (ii) The records pertaining to the identification of the customers and their addresses, obtained while opening the account and during the course of business relationship and also the registration records on DARPAN portal (if any) etc., shall be preserved for at least 5 years after the business relationship has ended.

The company shall take appropriate steps to evolve a system for proper maintenance and preservation of account information in a manner that allows data to be retrieved easily and quickly whenever required or when requested by the competent authorities. Such records can be maintained in hard or soft format, and swiftly be made available, to the competent authorities upon request.

**12. Other General Guidelines**

**(i) Appointment of Principal Officer**

The Board of Directors of the Company has designated ‘Chief Compliance Officer’ as the Principal Officer. Principal Officer shall be responsible for monitoring and reporting of all transactions and sharing of information as required under the law. The name, designation, address, and contact details of the Principal Officer shall be communicated to the FIU-IND and RBI.

**(ii) Appointment of Designated Director**

The Board of Directors of the Company has appointed ‘Managing Director & Chief Executive Officer’ (MD & CEO) as the Designated Director. The Designated Director shall be responsible for ensuring overall compliance with the obligations imposed under Chapter IV of the PML Act and the Rules. The name, designation, address, and contact details of the Principal Officer shall be communicated to the FIU-IND and RBI.

**(iii) Secrecy Obligations and Sharing of Information:**

- a) The Company shall maintain secrecy regarding the customer information that arises out of the contractual relationship between the Company and the customer.
- b) Information collected from customers for the purpose of opening of account shall be treated as confidential and details thereof shall not be divulged for the purpose of cross selling, or for any other purpose without the express permission of the customer.

## AAVAS FINANCIERS LIMITED

### POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

- c) While considering the requests for data/information from Government and other agencies, the Company shall satisfy itself that the information being sought is not of such a nature as will violate the provisions of the laws relating to secrecy in transactions.
- d) The exceptions to the said rule shall be as under:
  - where disclosure is under compulsion of law
  - where there is a duty to the public to disclose,
  - where the interest of the Company requires disclosure and
  - where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer.

#### **(iv) Compliance with the provisions of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010**

The Company shall comply with the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, its Rules, and any related instructions or communications issued by the RBI or Ministry of Home Affairs from time to time.

#### **(v) CDD Procedure and sharing KYC information with Central KYC Records Registry (CKYCR)**

- a) The Company shall capture the customer's KYC records and upload onto CKYCR within 10 days of commencement of an account-based relationship with the customer, in the manner mentioned in the Rules, as per the KYC templates prepared for 'Individuals' and 'Legal Entities' (LEs).

Operational Guidelines for uploading the KYC data are released by Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI).

- b) Once KYC Identifier is generated by CKYCR, the Company shall ensure that the same is communicated to the individual / LE as the case may be.
- c) Whenever the Company obtains additional or updated information from existing customer, it shall furnish the updated information to CKYCR within seven days.
- d) For the purpose of establishing an account-based relationship, updation/ periodic updation, the Company shall seek the KYC Identifier from the customer, or retrieve the KYC Identifier, if available from the CKYCR and proceed to obtain KYC records online from the CKYCR using the KYC Identifier and the customer shall not be required to submit the same KYC records or information or any other additional identification documents or details, unless –
  - there is a change in the information of the customer as existing in the records of CKYCR; or
  - the KYC record or information retrieved is incomplete or is not as per the current applicable KYC norms; or
  - the validity period of downloaded documents from CKYCR has lapsed; or
  - the Company considers it necessary in order to verify the identity or address (including current address) of the customer, or to perform enhanced due diligence or to build an appropriate risk profile of the customer

#### **(vi) Reporting requirement under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS)**

The NBFC shall comply with the provisions of Income Tax Rules 114F, 114G, and 114H under FATCA and CRS, including determining its status as a Reporting Financial Institution. It shall register on the Income Tax e-filing portal, carry out due diligence to identify reportable accounts using FEDAI reference rates, maintain records through an IT framework, and submit online reports (Form 61B or NIL) signed by the Designated Director. A High-Level Monitoring Committee shall oversee compliance, and the NBFC shall adhere to all updated instructions, guidance notes, and press releases issued by the CBDT.

## **AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”**

### **(vii) Operation of accounts and Money Mules**

The Company shall follow strict procedures for account opening and transaction monitoring to prevent the use of accounts as “Money Mules” in fraud schemes. Diligence and ongoing monitoring shall be conducted to identify such accounts, and appropriate action, including reporting of suspicious transactions to FIU-IND, shall be taken.

### **(viii) Introduction of New Technologies**

The Company shall identify and assess the ML/TF risks that may arise in relation to the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, and the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products. Further, the Company shall ensure: (a) to undertake the ML/TF risk assessments prior to the launch or use of such products, practices, services, technologies; and (b) adoption of a risk-based approach to manage and mitigate the risks through appropriate EDD measures and transaction monitoring, etc.

### **(ix) Quoting of PAN**

Permanent account number (PAN) or equivalent e-document thereof of customers shall be obtained and verified while undertaking transactions as per the provisions of Income Tax Rule 114B applicable to banks, as amended from time to time. Form 60 shall be obtained from persons who do not have PAN or equivalent e-document thereof.

### **(x) Hiring of Employees and Employee training**

- a) The Company shall put in place adequate screening mechanism, including Know Your Employee / Staff policy, as an integral part of their personnel recruitment/hiring process should be put in place to ensure that the staff dealing with / being deployed for KYC/AML/CFT matters have high integrity and ethical standards, good understanding of extant KYC/AML/CFT standards, effective communication skills and ability to keep up with the changing KYC/AML/CFT landscape, nationally and internationally and also develop an environment which fosters open communication and high integrity amongst the staff.
- b) On-going employee training programme should be put in place so that the members of staff are adequately trained in KYC/AML Measures policy. The focus of the training should be different for frontline staff, compliance staff and staff dealing with new customers. The front desk staff should be specially trained to handle issues arising from lack of customer education. Proper staffing of the audit function with persons adequately trained and well-versed in KYC/AML Measures policies, regulation and related issues should be ensured.

## AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”

### Annexure - A Digital KYC Process

- (i) The Company shall develop an application for digital KYC verification process as far as possible, which shall be made available at customer touch points for undertaking KYC of their customers and the KYC process shall be undertaken only through this authenticated application of the Company.
- (ii) The Company shall control the access to the Application and shall ensure that unauthorised persons do not use it. Authorised officials shall access the Application only through a login-id and password or a Live OTP or Time OTP controlled mechanism that the Company provides.
- (iii) The customer, for the purpose of KYC, shall visit the location of the authorised official of the Company or vice-versa. The original OVD shall be in possession of the customer.
- (iv) The Company shall ensure that the Live photograph of the customer is taken by the authorized officer and the same photograph is embedded in the Customer Application Form (CAF). Further, the system Application of the Company shall put a water-mark in readable form having CAF number, GPS coordinates, authorized official's name, unique employee Code (assigned by the Company) and Date (DD:MM:YYYY) and time stamp (HH:MM:SS) on the captured live photograph of the customer.
- (v) The Application of the Company shall have the feature that only live photograph of the customer is captured and no printed or video-graphed photograph of the customer is captured. The background behind the customer while capturing live photograph should be of white colour and no other person shall come into the frame while capturing the live photograph of the customer.
- (vi) Similarly, the live photograph of the original OVD or proof of possession of Aadhaar where offline verification cannot be carried out (placed horizontally), shall be captured vertically from above and water marking in readable form as mentioned above shall be done. No skew or tilt in the mobile device shall be there while capturing the live photograph of the original documents.
- (vii) The live photograph of the customer and his original documents shall be captured in proper light so that they are clearly readable and identifiable.
- (viii) Thereafter, all the entries in the CAF shall be filled as per the documents and information furnished by the customer. In those documents where Quick Response (QR) code is available, such details can be auto populated by scanning the QR code instead of manual filing the details. For example, in case of physical Aadhaar/e-Aadhaar downloaded from UIDAI where QR code is available, the details like name, gender, date of birth and address can be auto-populated by scanning the QR available on Aadhaar/e-Aadhaar.
- (ix) Once the above- mentioned process is completed, a One Time Password (OTP) message containing the text that 'Please verify the details filled in form before sharing OTP' shall be sent to customer's own mobile number. Upon successful validation of the OTP, it will be treated as customer signature on CAF. However, if the customer does not have his/her own mobile number, then mobile number of his/her family/relatives/known persons may be used for this purpose and be clearly mentioned in CAF. In any case, the mobile number of authorized officer registered with the Company shall not be used for customer signature. The Company must check that the mobile number used in customer signature shall not be the mobile number of the authorized officer.
- (x) The authorized officer shall provide a declaration about the capturing of the live photograph of customer and the original document. For this purpose, the authorized official shall be verified with One Time Password (OTP) which will be sent to his mobile number registered with the Company. Upon successful OTP validation, it shall be treated as authorized officer's signature on the declaration. The live photograph of the authorized official shall also be captured in this authorized officer's declaration.
- (xi) Subsequent to all these activities, the Application shall give information about the completion of the process and submission of activation request to activation officer of the Company, and also generate the transaction id/reference-id number of the process. The authorized officer shall intimate the details regarding transaction id/reference-id number to customer for future reference.
- (xii) The authorized officer of the Company shall check and verify that a) information available in the picture of document is matching with the information entered by authorized officer in CAF. b) live photograph of the customer matches with the photo available in the document.; and c) all of the necessary details in CAF including mandatory field are filled properly. On Successful verification, the CAF shall be digitally signed by authorized officer of the Company who will take a print of CAF, get signatures/thumb-impression of customer at appropriate place, then scan and upload the same in system. Original hard copy may be returned to the customer.





## **AAVAS FINANCIERS LIMITED POLICY ON “KNOW YOUR CUSTOMER” AND “ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES”**

**Date of Approved by the Board:** March 10, 2012

**Last Date of Review/Revised/Amend by the Board:** February 05, 2026

**Version:** 1.5



## AAVAS FINANCIERS LIMITED

‘कनो योर कस्टमर’ और ‘एंटी -मनी लॉन्ड्रिंग के उपाय’ पर नीति/ अपने ग्राहक को  
जानें एवं धन शोधन निरोधक उपाय नीति

## AAVAS FINANCIERS LIMITED

‘कनो योर कस्टमर’ और ‘एंटी -मनी लॉन्ड्रिंग के उपाय’ पर नीति/  
अपने ग्राहक को जानें एवं धन शोधन निरोधक उपाय नीति

## **1. परिचय एवं नियामक ढांचा**

(i) Aavas Financiers Limited (“कंपनी/Aavas”) एक आवास वित्त कंपनी है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित है तथा नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। तदनुसार, यह अपने ग्राहक को जानें (KYC) और धन शोधन निरोधक (AML) नीति (“नीति”) समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित कानूनों, नियमों और नियामकीय निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानें) निर्देश, 2025, जो आवास वित्त कंपनियों (HFCs) (“RBI मास्टर डायरेक्शन”) पर लागू हैं,
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (“PMLA”),
- धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (“PML नियम”), और
- RBI, NHB और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू परिपत्र, अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण।

(ii) इस नीति का उद्देश्य है:

- यह सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक ग्राहक पहचान प्रक्रिया (“CIP”) / ग्राहक उचित सावधानी (“CDD”) / उन्नत उचित सावधानी (“EDD”) उपायों का पालन किया जाए।
- ग्राहक की उचित सावधानी, जोखिम प्रबंधन, अभिलेख संधारण और रिपोर्टिंग दायित्वों के प्रति कंपनी के दृष्टिकोण को दर्शाना।
- कंपनी को जानबूझकर या अनजाने में, धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण या प्रसार वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकना।
- कंपनी को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन-देन को समझने में सक्षम बनाना।
- उचित जोखिम-आधारित नियंत्रण और उचित सावधानी के उपायों को स्थापित करना।
- लागू नियामकीय और वैधानिक शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।

(iii) इस नीति को Aavas Financiers Limited के **निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।**

(iv) NHB/ RBI/ या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी वर्तमान और भविष्य के परिपत्र / निर्देश / दिशानिर्देश / मार्गदर्शन नोट कंपनी की KYC AML नीति के लिए मार्गदर्शक बल होंगे और वे इस नीति की सामग्री के ऊपर मान्य होंगे।

## **2. परिभाषाएं**

इस नीति में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें RBI मास्टर डायरेक्शन में समय-समय पर संशोधित रूप में दिया गया है।

(i) ‘**अधिनियम**’ और ‘**नियम**’ से अभिप्राय क्रमशः धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 तथा उनके संशोधनों से है।

(ii) ‘**लाभार्थी स्वामी (BO)**’:

- a) जहां **ग्राहक एक कंपनी है**, वहां BO वह स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, जो अकेले या मिलकर, या एक या अधिक कानूनी इकाइयों के माध्यम से, कंपनी में नियंत्रक स्वामित्व हित रखते हैं या अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए-

- ‘नियंत्रक स्वामित्व हित’ का अर्थ कंपनी के अंशों या पूंजी या लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व / अधिकार से है।
- ‘नियंत्रण’ में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी अंशधारिता या प्रबंधन अधिकार या अंशधारक समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर नियंत्रण भी शामिल है।

- b) जहां **ग्राहक एक साझेदारी फर्म है**, BO वह स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, जो अकेले या मिलकर, या एक या अधिक कानूनी इकाइयों के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व / अधिकार रखते हैं या अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए, ‘नियंत्रण’ में प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।

- c) जहां **ग्राहक एक गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों का समूह है**, वहां BO वह स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, जो अकेले या मिलकर, या एक या अधिक कानूनी इकाइयों के माध्यम से, गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व / अधिकार रखते हैं।

स्पष्टीकरण: ‘व्यक्तियों का समूह’ शब्द में सोसाइटी भी शामिल हैं। जहां ऊपर (a), (b) या (c) के तहत कोई भी स्वाभाविक व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, वहां BO वह संबंधित प्राकृतिक व्यक्ति होगा जो वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी का पद में कार्यरत है।

- d) जहां **ग्राहक एक ट्रस्ट है**, वहां BO की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10 प्रतिशत या उससे अधिक हित रखने वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य स्वाभाविक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

(iii) **‘प्रमाणित प्रति’** प्राप्त करने का अर्थ, आधार नंबर के कब्जे के प्रमाण की प्रति (जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता) या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की मूल दस्तावेज़ के साथ तुलना करना होगा और कंपनी का एक अधिकृत अधिकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार उस प्रति पर इस तुलना का अभिलेख दर्ज करेगा। यह प्रावधान किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के मामले में, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 {FEMA 5(R)} में परिभाषित है, विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है:

- भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
- वे विदेशी बैंकों की शाखाएं, जिनके साथ भारतीय बैंकों के बैंकिंग संबंध हैं,
- विदेश में नियुक्त नोटरी पब्लिक,
- न्यायालय के मजिस्ट्रेट,
- न्यायाधीश,
- उस देश में स्थित भारतीय दूतावास / महावाणिज्य दूतावास, जहां अनिवासी ग्राहक निवास करता है।

(iv) ‘**सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR)**’ से आशय नियमों के नियम 2(1) के अंतर्गत परिभाषित उस इकाई से है, जो किसी ग्राहक के KYC अभिलेख को डिजिटल रूप में प्राप्त करने, संग्रहित करने, सुरक्षित रखने तथा पुनः प्राप्त करने का कार्य करती है।

(v) ‘**ग्राहक**’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो कंपनी के साथ किसी वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है, तथा इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी ओर से वह व्यक्ति, जो उक्त लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है, कार्य कर रहा है।

(vi) ‘**ग्राहक उचित सावधानी (CDD)**’ से आशय ग्राहक तथा लाभार्थी स्वामी की पहचान और सत्यापन से है, जो विश्वसनीय एवं स्वतंत्र पहचान स्रोतों का इस्तेमाल करके किया जाता है।

स्पष्टीकरण: CDD में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ग्राहक की पहचान करना, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र पहचान स्रोतों का इस्तेमाल करके उसकी पहचान का सत्यापन करना, तथा जहां लागू हो, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और उसकी अभिप्रेत प्रकृति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना;
- ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति तथा उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;
- यह निर्धारित करना कि क्या ग्राहक किसी लाभार्थी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, तथा लाभार्थी स्वामी की पहचान करना और उसकी पहचान का सत्यापन करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वतंत्र पहचान स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाना।

(vii) ‘**ग्राहक पहचान**’ से आशय CDD की प्रक्रिया को अपनाने से है।

(viii) ‘**नामित निदेशक**’ से आशय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामित उस व्यक्ति से है, जो PML अधिनियम तथा नियमों के अध्याय IV के अंतर्गत लगाए गए दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, तथा इसमें प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक भी शामिल होंगे।

(ix) ‘**डिजिटल KYC**’ से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसमें कंपनी का अधिकृत अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहक की लाइव फ़ोटो तथा आधिकारिक वैध दस्तावेज़ या आधार के स्वामित्व का प्रमाण (जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता हो) को कैप्चर करता है, साथ ही उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का विवरण भी दर्ज करता है, जहां ऐसी लाइव फ़ोटो ली जा रही हो।

(x) ‘**समतुल्य ई-दस्तावेज़**’ से आशय ऐसे दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष से है, जिसे उस दस्तावेज़ की जारी करने वाली प्राधिकृत संस्था द्वारा उसकी मान्य डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया हो; तथा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएँ प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और अभिलेखन) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर अकाउंट में जारी किए गए दस्तावेज़ भी शामिल हैं।

(xi) ‘**अपने ग्राहक को जानें (KYC) पहचानकर्ता**’ से आशय उस विशिष्ट नंबर या कोड से है, जो सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) द्वारा किसी ग्राहक को आवंटित किया जाता है।

(xii) ‘**‘नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक**’ से आशय ऐसे ग्राहकों से है, जो NBFC की शाखा / कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना या कंपनी के अधिकारियों से मिले बिना अपना अकाउंट खोलते हैं।

(xiii) ‘**आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (OVD)**’ से आशय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, NREGA द्वारा जारी एवं राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जॉब कार्ड, तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी वह पत्र, जिसमें नाम और पता का विवरण शामिल हो, से है।

बशर्ते कि,

- जहां ग्राहक आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण OVD के रूप में प्रस्तुत करता है, वहां वह उसे उस रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया हो।
- जब ग्राहक ऐसा OVD प्रस्तुत करता है, जिसमें पता अपडेट किया गया नहीं है, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज़, केवल पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए OVD माने जाएंगे:-
  - किसी भी सेवा प्रदाता का बिल जो 2 महीने से अधिक पुराना न हो (जैसे: बिजली, लैंडलाइन टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल, पाइपड गैस या पानी का बिल);
  - संपत्ति कर या नगरपालिका कर की रसीद;
  - सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश (PPOs), बशर्ते उनमें पता लिखा हो;
  - राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता का Aavas आवंटन पत्र, तथा ऐसे नियोक्ताओं द्वारा आधिकारिक Aavas आवंटित किए जाने से संबंधित लीव एंड लाइसेंस समझौते;
- ग्राहक, उपर्युक्त (b) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, वर्तमान पते वाला OVD प्रस्तुत करेगा।  
स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, कंपनी किसी दस्तावेज़ को OVD मानेगी, भले ही उसके जारी किए जाने के पश्चात नाम में बदलाव हुआ हो, बशर्ते कि ऐसा नाम बदलाव राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जिसमें नाम बदलाव का उल्लेख किया गया हो।

(xiv) ‘**ऑफ़लाइन सत्यापन**’ का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 (18 of 2016) (“**आधार अधिनियम**”) की धारा 2 के खंड (pa) में उसे प्रदान किया गया है।

(xv) ‘**निरंतर उचित सावधानी**’ से आशय अकाउंट्स में होने वाले लेनदेन की नियमित निगरानी से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये लेनदेन ग्राहकों, उनके व्यवसाय, जोखिम प्रोफ़ाइल, तथा निधि / संपत्ति के स्रोत के संबंध में कंपनी की जानकारी के अनुरूप हों।

(xvi) ‘**आवधिक अपडेट**’ से आशय उन कदमों से है, जो CDD प्रक्रिया के अंतर्गत एकत्र किए गए दस्तावेज़ों, डेटा या जानकारी को अपडेट और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत RBI द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार मौजूदा अभिलेखों की समीक्षा की जाती है।

(xvii) ‘**व्यक्ति**’ का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में निर्धारित किया गया है, तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कोई व्यक्ति,
- कोई हिंदू अविभाजित परिवार,
- कोई कंपनी,



- d) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो,
- e) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त व्यक्तियों (a से e) में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो, तथा
- f) उपरोक्त व्यक्तियों (a से f) में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाली कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

(xviii) ‘मुख्य अधिकारी’ से आशय उस अधिकारी से है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन स्तर पर नियुक्त किया गया हो, और जो नियम 8 के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार हो।

(xix) ‘संदिग्ध लेनदेन’ से आशय नीचे परिभाषित ‘लेनदेन’ से है, जिसमें लेन-देन का प्रयास भी शामिल है, चाहे वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो नेक नीयती से काम करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित प्रतीत होता है:

- a) ऐसा उचित संदेह उत्पन्न करता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध से प्राप्त धन शामिल हो सकता है, चाहे लेनदेन का मूल्य कुछ भी हो; या
- b) ऐसा प्रतीत होता है कि यह असामान्य या अनुचित जटिल परिस्थितियों में किया गया है; या
- c) ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई आर्थिक तर्क या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; या
- d) ऐसा उचित संदेह उत्पन्न करता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण की संभावना शामिल हो सकती है।

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण वाला लेनदेन उस लेनदेन को शामिल करता है, जिसमें NBFC को संदेह हो कि यह निधि आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों, किसी आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाएगी या की जा रही है, जो आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या उसके लिए प्रयासरत हैं। (xix) ‘लेनदेन’ से आशय खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार, स्थानांतरण, वितरण या उनके प्रबंध से है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(xx) ‘वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP)’: एक वैकल्पिक विधि जिसके माध्यम से कंपनी का अधिकृत अधिकारी चेहरे की पहचान और ग्राहक उचित सावधानी के साथ ग्राहक की पहचान करता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक के साथ एक सहज, सुरक्षित, लाइव और सूचित-सहमति पर आधारित ऑडियो-विजुअल बातचीत शामिल है, ताकि CDD के उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सके, और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता का स्वतंत्र सत्यापन तथा प्रक्रिया का ऑडिट ट्रेल बनाए रखकर मूल्यांकन किया जा सके।

(xxii) ‘वॉक-इन ग्राहक’ से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कंपनी के साथ अकाउंट-आधारित संबंध नहीं है, लेकिन जो कंपनी के साथ लेनदेन करता है।

### 3. नीति के तत्व

KYC नीति में निम्नलिखित चार प्रमुख तत्व शामिल हैं:

- (i) ग्राहक स्वीकृति नीति
- (ii) जोखिम प्रबंधन
- (iii) ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं (CIP); और
- (iv) लेनदेन की निगरानी

### 4. ग्राहक स्वीकृति नीति

ग्राहक स्वीकृति नीति में शामिल होने वाले सामान्य हिस्से की संपूर्णता को प्रभावित किए बिना, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि:

- (i) किसी भी अकाउंट को गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम पर नहीं खोला जाए;
- (ii) किसी भी अकाउंट को नहीं खोला जाए, जहां कंपनी उचित ग्राहक उचित सावधानी (CDD) उपाय लागू करने में असमर्थ हो, चाहे वह ग्राहक के सहयोग की कमी के कारण हो या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़/जानकारी की विश्वसनीयता न होने के कारण। कंपनी उस स्थिति में आवश्यक होने पर STR दाखिल करने पर विचार करेगी, जब वह ग्राहक के संबंध में संबंधित CDD उपायों का पालन करने में असमर्थ हो।
- (iii) किसी भी लेनदेन या अकाउंट-आधारित संबंध को CDD प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाएगा।
- (iv) ग्राहक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का वयस्क (अर्थात् 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का) होना अनिवार्य है और भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार किसी अनुबंध में प्रवेश करने में अक्षम नहीं होना चाहिए।
- (v) ग्राहक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/लाभार्थी स्वामी का नाम/पहचान किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल नहीं खानी चाहिए, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) / RBI / FIU-IND / या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी की गई प्रतिबंध सूचियों, नामित सूची या नामित सूचियों में शामिल हो।
- (vi) ऋण अकाउंट खोलते समय और समय-समय पर जानकारी अपडेट करने के दौरान, KYC के उद्देश्य से मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी वही होगी, जो इस नीति में निर्दिष्ट की गई है।
- (vii) ऋण अकाउंट खुलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति से वैकल्पिक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है।
- (viii) ग्राहकों (व्यक्तिगत तथा गैर-व्यक्तिगत) के साथ नए संबंध स्थापित करते समय तथा मौजूदा ग्राहकों के लिए भी एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (UCIC) आवंटित किया जाएगा।
- (ix) कंपनी विशिष्ट ग्राहक पहचान ग्राहक (UCIC) स्तर पर CDD प्रक्रिया लागू करेगी। अतः, अगर कंपनी का कोई मौजूदा KYC-अनुपालन करने वाला ग्राहक एक अन्य अकाउंट खोलना चाहता है या कंपनी से कोई अन्य उत्पाद या सर्विस लेना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में नई CDD प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (x) संयुक्त रूप से आवेदन करते समय सभी संयुक्त ऋण अकाउंट धारकों के लिए CDD प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- (xi) वे परिस्थितियां, जिनमें एक ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, नीति में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।
- (xii) जहां स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त की जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- (xiii) जहां ग्राहक से कोई समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया जाता है, वहां कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगी।
- (xiv) जहां वस्तु एवं सेवा कर (GST) का विवरण उपलब्ध है, GST नंबर को जारी करने वाले प्राधिकरण की खोज/सत्यापन सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- (xv) कंपनी या RBI द्वारा विनियमित किसी अन्य वित्तीय इकाई द्वारा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ग्राहक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / लाभार्थी स्वामी या ऐसी इकाइयों से जुड़े संस्थान और व्यक्ति, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार व्यवहार किए जाएंगे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकृति नीति को अपनाने और लागू करने के परिणामस्वरूप आम जनता को सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं।

जहां कंपनी को धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह होता है, और उचित रूप से यह मानती है कि CDD प्रक्रिया करने से ग्राहक को संकेत मिल सकता है, वहां वह CDD प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी और इसके बजाय FIU-IND के साथ एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट ("STR") दाखिल करेगी

## 5. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के लिए, कंपनी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्राहकों को HFC के मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
- कंपनी की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित करती है।
- ये सिद्धांत ग्राहक की पहचान, सामाजिक / वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान से संबंधित जानकारी, ग्राहकों तथा लेन-देन दोनों को कवर करने वाला भौगोलिक जोखिम, प्रदान किए जाने वाले उत्पादों / सर्विस के प्रकार, उत्पादों / सर्विस की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिलीवरी चैनल, किए गए लेन-देन के प्रकार – नकद, चेक / मौद्रिक साधन, वायर ट्रांसफर, फॉरेक्स लेन-देन आदि जैसे मापदंडों पर आधारित होंगे। ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, जारी करने वाले प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन या अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
- ग्राहक का जोखिम वर्गीकरण और ऐसे वर्गीकरण के विशिष्ट कारणों को गोपनीय रखा जाएगा और ग्राहक को नहीं बताया जाएगा, ताकि ग्राहक को सतर्क होने से बचाया जा सके।

बशर्ते कि ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से अनुमानित जोखिम से संबंधित एकत्र की गई अन्य विभिन्न जानकारी गैर-हस्तक्षेपकारी हो तथा वही इस नीति और क्रेडिट नीति में निर्दिष्ट हो।

कंपनी अपने जोखिम मूल्यांकन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के सार्वजनिक बयानों, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) द्वारा जारी KYC/AML पर रिपोर्ट और मार्गदर्शन नोटों, तथा अन्य एजेंसियों आदि का इस्तेमाल कर सकती है।

### 5A. कंपनी द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन:

- कंपनी समय-समय पर (कम से कम वार्षिक रूप से) ‘धन शोधन (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) जोखिम मूल्यांकन’ अभ्यास करेगी, ताकि ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सर्विस, लेन-देन या डिलीवरी चैनलों आदि के लिए अपने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रभावी उपाय करके उसे कम किया जा सके।

- (ii) मूल्यांकन प्रक्रिया समग्र जोखिम स्तर और लागू किए जाने वाले उपयुक्त शमन के स्तर और प्रकार को निर्धारित करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करेगी। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, कंपनी उन समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान देगी, अगर कोई हों, जिन्हें नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर कंपनी के साथ साझा कर सकते हैं।
- (iii) जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा, और यह कंपनी की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुपात में होगा।
- (iv) इस अभ्यास के परिणाम को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यह सक्षम प्राधिकरणों तथा स्व-नियामक निकायों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- (v) कंपनी इस नीति के अनुरूप पहचाने गए जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (RBA) अपनाएगी। कंपनी पहचाने गए ML/TF जोखिमों जिनकी पहचान (स्वयं कंपनी द्वारा) की गई है और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पहचाने गए जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए एक CDD कार्यक्रम लागू करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और आवश्यकता होने पर उन्हें सुदृढ़ करेगी।

## 6. ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CIP)

कंपनी निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगी:

- (i) ग्राहक के साथ अकाउंट-आधारित संबंध की शुरुआत पर।
  - (ii) जब कंपनी को प्राप्त ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता पर संदेह हो।
- अकाउंट-आधारित संबंध की शुरुआत के समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से, कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष द्वारा की गई CDD पर भरोसा कर सकती है:
- (i) कंपनी तुरंत तीसरे पक्ष द्वारा की गई ग्राहक उचित सावधानी के अभिलेख या जानकारी, या तो तीसरे पक्ष से या CKYCR अभिलेख से प्राप्त करेगी।
  - (ii) कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी कि ग्राहक की पहचान के डेटा की प्रतियां और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़, जो ग्राहक की उचित सावधानी की शर्तों से संबंधित हैं, अनुरोध करने पर तीसरे पक्ष द्वारा बिना किसी देरी के उपलब्ध कराए जाएं।
  - (iii) वह तीसरा पक्ष विनियमित, पर्यवेक्षित या निगरानी में होना चाहिए, और उसके पास PML अधिनियम के तहत शर्तों और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की उचित सावधानी (CDD) और अभिलेख रखने की शर्तों के अनुपालन के उपाय होने चाहिए।
  - (iv) वह तीसरा पक्ष किसी ऐसे देश या अधिकार क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए जिसे उच्च जोखिम के रूप में आंका गया हो।
  - (v) कंपनी अंततः CDD और लागू होने पर उन्नत उचित सावधानी उपायों को अपनाने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

तीसरे पक्ष के माध्यम से ग्राहक की पहचान करते समय, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि KYC मानकों के अनुपालन का निर्धारण करने वाले निर्णयात्मक कार्यों को आउटसोर्स न किया जाए।

## 6A. ग्राहक उचित सावधानी (CDD) प्रक्रिया

### भाग- I: व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया

कंपनी, CIP करते समय या उस व्यक्ति से व्यवहार करते समय जो किसी कानूनी इकाई से संबंधित लाभार्थी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या वकालतनामा धारक हो, निम्नलिखित प्राप्त करेगी:

- (i) आधार नंबर जहां,
  - a) वे आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हों; या
  - b) वे स्वेच्छा से अपना आधार नंबर कंपनी को जमा करने का निर्णय लेते हों; या

बशर्ते कि, कंपनी UIDAI की e-KYC प्रमाणीकरण सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ग्राहक की आधार नंबर का प्रमाणीकरण करेगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में, अगर ग्राहक केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से भिन्न वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, तो वह इस संबंध में एक स्व-घोषणा दे सकता है।

- (ii) आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है; या

बशर्ते कि, कंपनी ऐसा ऑफ़लाइन सत्यापन अनिवार्य रूप से करेगी।

- (iii) आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या कोई OVD या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो; या

बशर्ते कि, अगर ग्राहक किसी OVD का समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, तो कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा उसके अंतर्गत जारी किसी भी नियमों के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगी और डिजिटल KYC प्रक्रिया तथा उसके नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार एक लाइव फ़ोटो लेगी, जो **अनुलग्नक-A** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, अगर ग्राहक कोई OVD या आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करता है, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी डिजिटल KYC प्रक्रिया तथा उसके नियमों और विनियमों के माध्यम से सत्यापन करेगी, जो **अनुलग्नक-A** के अंतर्गत में दिया गया है।

- (iv) CKYCR से अभिलेख डाउनलोड करने हेतु स्पष्ट सहमति के साथ KYC पहचानकर्ता; बशर्ते कि कंपनी, CKYCR के साथ KYC जानकारी साझा करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार CKYCR से ऑनलाइन KYC अभिलेख प्राप्त करेगी। और

- (v) PAN या उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ या आयकर नियम, 1962 में परिभाषित फ़ॉर्म नंबर 60; और

- (vi) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में अन्य ऐसे दस्तावेज़, या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज़, जो कंपनी द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।



बशर्ते कि, REs की किसी श्रेणी के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से आगे की अवधि तक नहीं, डिजिटल KYC करने के बजाय कंपनी आधार नंबर के स्वामित्व के प्रमाण या OVD की प्रमाणित प्रति तथा एक हालिया फोटोग्राफ प्राप्त कर सकती है, जहां समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, अगर आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किसी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए चोट, बीमारी या वृद्धावस्था के कारण कमजोरी अथवा अन्य समान कारणों से e-KYC प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी आधार नंबर प्राप्त करने के अतिरिक्त, पहचान प्रक्रिया को प्राथमिकता से ऑफ़लाइन सत्यापन करके या वैकल्पिक रूप से ग्राहक से किसी अन्य OVD या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके पूरी करेगी। इस प्रकार किया गया CDD अनिवार्य रूप से कंपनी के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और ऐसी अपवाद हैंडलिंग आंतरिक ऑडिट का भी हिस्सा होगी। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अपवाद हैंडलिंग के मामलों को एक केंद्रीकृत अपवाद डेटाबेस में विधिवत अभिलेखित किया जाए। इस डेटाबेस में अपवाद प्रदान करने के आधार का विवरण, ग्राहक का विवरण, अपवाद को अधिकृत करने वाले नामित अधिकारी का नाम तथा अतिरिक्त विवरण, अगर कोई हो, शामिल होंगे। इस डेटाबेस का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट / निरीक्षण किया जाएगा और यह पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए उपलब्ध रहेगा।

ग्राहक पहचान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, समय-समय पर RBI मास्टर डायरेक्शन के अंतर्गत निर्धारित V-CIP प्रक्रिया भी, अगर उपयुक्त समझा जाए, लागू की जा सकती है।

स्पष्टीकरण 1: जब ग्राहक आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक, जहां आधार नंबर के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, वहां अपने आधार नंबर को उचित माध्यमों द्वारा छिपाए या ब्लैक आउट करे।

स्पष्टीकरण 2: कंपनी बायोमेट्रिक आधारित ई-KYC प्रमाणीकरण, जिसमें आधार फेस प्रमाणीकरण भी शामिल है, कर सकती है।

स्पष्टीकरण 3: आधार, आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण आदि का इस्तेमाल आधार अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4: KYC के उद्देश्यों के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर ग्राहक आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है, तो ग्राहक को आधार नंबर प्रदान करना होगा। अन्य मामलों में, ग्राहक आधार नंबर स्वेच्छा से प्रदान कर सकते हैं।

कंपनी की एक शाखा द्वारा एक बार किया गया KYC सत्यापन, अकाउंट को कंपनी की किसी भी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि कंपनी ने संबंधित अकाउंट के लिए पहले से ही पूर्ण KYC सत्यापन पूरा कर लिया हो और उसका आवधिक अपडेशन बाकी न हो।

## **भाग-II: एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए CDD उपाय**

किसी एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी को उस व्यक्ति (स्वामी) की CDD करनी होगी।



इसके अतिरिक्त, एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी भी दो दस्तावेज़ भी प्राप्त किए जाने चाहिए:

- पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) शामिल हो।
- दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस।
- विक्रय और आयकर रिटर्न।
- CST/VAT/GST प्रमाणपत्र।
- विक्रय कर/सेवा कर/पेशेवर कर प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज़।
- IEC (आयात-निर्यात आचरण), जो DGFT कार्यालय द्वारा एकल स्वामित्व वाली फर्म को जारी किया गया हो / किसी भी वैधानिक अधिनियम के तहत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस प्रमाणपत्र।
- पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) उस एकल स्वामी के नाम पर, जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो, और जिसे आयकर प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण/स्वीकृति प्राप्त हो।
- यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली, जल और लैंडलाइन टेलीफोन बिल।

ऐसे मामलों में, जहां कंपनी यह सुनिश्चित कर ले कि दो ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो कंपनी अपने विवेक के अनुसार केवल एक दस्तावेज़ को व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकती है।

बशर्ते कि कंपनी संपर्क बिंदु सत्यापन करे और ऐसी अन्य जानकारी एवं स्पष्टीकरण एकत्र करे, जो उस फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हों, तथा यह पुष्टि और सुनिश्चित करे कि व्यवसाय गतिविधि को एकल स्वामित्व वाले फर्म के पते से सत्यापित किया गया है।

### भाग-III: कानूनी संस्थाओं के लिए CDD उपाय

- किसी कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
  - संस्थापन प्रमाणपत्र;
  - एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख;
  - कंपनी का PAN;
  - निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसके पक्ष में लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
  - कंपनी की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकारपत्र रखने वाले लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जो भी प्रासंगिक हो, के संबंध में CDD प्रक्रिया के लिए व्यक्तियों के मामले में आवश्यक दस्तावेज़
  - वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर नियुक्त संबंधित व्यक्तियों के नाम;
  - पंजीकृत कार्यालय और इसका प्रमुख व्यवसायिक स्थान, अगर ये अलग हों।
- किसी साझेदारी फर्म का अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
  - पंजीयन प्रमाण-पत्र;

- b) साझेदारी विलेख;
  - c) साझेदारी फर्म का PAN;
  - d) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना;
  - e) सभी साझेदारों के नाम;
  - f) पंजीकृत कार्यालय का पता, और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, अगर वह भिन्न हो।
- (iii) किसी ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
- a) पंजीयन प्रमाण-पत्र;
  - b) ट्रस्ट विलेख;
  - c) ट्रस्ट का PAN या फॉर्म नंबर 60;
  - d) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना
  - e) लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर, संरक्षक, अगर कोई हो, और ट्रस्ट के लेखकों के नाम
  - f) ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता; और
  - g) ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक ट्रस्टियों और दस्तावेज़ों की सूची।
  - h) अगर कोई ग्राहक गैर-लाभकारी संगठन है, तो उसे नीति आयोग के DARPAN पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। अगर यह पंजीकृत नहीं है, तो कंपनी DARPAN पोर्टल पर विवरण पंजीकृत करेगी।
- (iv) किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का खाता खोलने के लिए, कंपनी निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी:
- a) ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;
  - b) अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का PAN या फॉर्म नंबर 60;
  - c) इसकी ओर से लेन-देन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी;
  - d) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना
  - e) ऐसी जानकारी जो कंपनी को ऐसे किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।
- स्पष्टीकरण: अपंजीकृत ट्रस्ट/साझेदारी फर्मों को 'अनिगमित संघ' शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और 'व्यक्तियों के निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं
- (v) न्यायिक व्यक्तियों (विशेष रूप से पहले भाग में शामिल नहीं) जैसे सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत आदि के खाते खोलने के लिए, या जो ऐसे न्यायिक व्यक्ति या व्यक्ति या ट्रस्ट की ओर से कार्य करने का इरादा रखते हैं, कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
- a) इकाई की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़;

- b) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्ति के और
- c) ऐसे दस्तावेज़ जो कंपनी को ऐसी ..... इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

### लाभार्थी स्वामी के लिए भाग-IV CDD उपाय

किसी कानूनी व्यक्ति का खाता खोलने के लिए, जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लाभार्थी स्वामी की पहचान की जाएगी और उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए नियमों के नियम 9(3) के संदर्भ में सभी उचित कदम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उठाए जाएंगे:

- (i) जहां ग्राहक या नियंत्रित हित का स्वामी है:
  - a) भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक इकाई, या
  - b) यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायक्षेत्रों में रहने वाली और ऐसे न्यायक्षेत्रों में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध एक इकाई है, या
  - c) यह ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनी है; ऐसी संस्थाओं के किसी भी शेयरधारक या लाभार्थी स्वामी की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।
- (ii) ट्रस्ट/नामांकित या प्रत्यक्ष खातों के मामलों में, यह निर्धारित किया जाता है कि ग्राहक ट्रस्टी/नामांकित या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में, मध्यस्थों और उन व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं, साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा।

## 7. लेन-देन की निगरानी

### 7A. चल रहे उचित परिश्रम उपाय

कंपनी ग्राहकों की निरंतर उचित सावधानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लेनदेन ग्राहकों, उनके व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, तथा निधि/संपत्ति के स्रोत के बारे में कंपनी की जानकारी के अनुरूप हों।

नज़दीकी निगरानी की आवश्यकता वाले कारकों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन की आवश्यक रूप से निगरानी की जाएगी:

- (i) RTGS लेन-देन सहित बड़े और जटिल लेनदेन, और असामान्य पैटर्न वाले, ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के साथ असंगत, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक औचित्य या वैध उद्देश्य नहीं है।
- (ii) ऐसे लेन-देन जो विशिष्ट श्रेणियों के खातों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हों।

चल रहे उचित परिश्रम के लिए, कंपनी प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (AI और ML) प्रौद्योगिकियों सहित उचित नवाचारों को अपनाने पर विचार कर सकती है। निगरानी की सीमा ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुरूप होगी।

छह महीने में कम से कम एक बार खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी और बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। उच्च जोखिम वाले खातों की अधिक गहन निगरानी की जानी चाहिए।

### **7B. वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (FIU-IND) को रिपोर्टिंग**

कंपनी PML अधिनियम और PML नियमों के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करेगी, और निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) को नियम 3 के तहत निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित सभी जानकारी, नियम 7 के अनुसार और समय-समय पर FIU-IND द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

कंपनी निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूपों, रिपोर्टिंग प्रारूप दिशानिर्देशों का पालन करेगी, और नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) और नकली मुद्रा रिपोर्ट (CCR) को समय पर दाखिल करने के लिए FIU-IND द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट जनरेशन उपयोगिता और रिपोर्ट सत्यापन उपयोगिता या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोगिताओं का इस्तेमाल करेगी।

प्रधान अधिकारी गैर-कम्प्यूटरीकृत शाखाओं, अगर कोई हो, सहित लेन-देन डेटा के संग्रह और इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। निर्धारित समय सीमा से परे गलत तरीके से बताए गए लेन-देन की रिपोर्टिंग या सुधार में किसी भी देरी को देरी के प्रत्येक दिन के लिए एक अलग उल्लंघन माना जाएगा। STR दाखिल करने से ग्राहक खाता संचालन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। कंपनी, उसके निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी लागू निर्देशों के तहत अनुमति के अनुसार असामान्य या संदिग्ध लेनदेन के विश्लेषण के आंतरिक साझाकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FIU-IND को अभिलेखों के रखरखाव और प्रस्तुत करने के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे।

कंपनी नीचे दिए गए पैरा 7C और 7D के अनुसार मंजूरी सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते अकाउंट का विवरण FIU-IND को भी रिपोर्ट करेगी।

### **7C. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (UAPA) अधिनियम, 1967 के तहत दायित्व**

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (UAPA) अधिनियम, 1967 और उसके संशोधनों की धारा 51A के अनुसार, उसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित की जाने वाली, आतंकवादी संबंधों के संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की सूचियों, अर्थात् 'ISIL (Da'esh) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची' और 'तालिबान प्रतिबंध सूची (1988 प्रतिबंध सूची)' में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता न हो।

कंपनी समय-समय पर संशोधित आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का उल्लेख करना भी सुनिश्चित करेगी। कंपनी उपर्युक्त सूचियों, अर्थात् UNSC प्रतिबंध सूचियों और आतंकवाद की रोकथाम एवं दमन (सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में समय-समय पर संशोधित सूचियों का दैनिक आधार पर सत्यापन करेगी, और सूचियों में परिवर्धन, विलोपन या अन्य बदलावों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को कंपनी द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

UAPA अधिसूचना के तहत आवश्यक गृह मंत्रालय को सलाह देने के अलावा सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का विवरण FIU-IND को सूचित किया जाएगा।

### **7D. सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (WMD अधिनियम, 2005) के तहत दायित्व**

कंपनी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत WMD अधिनियम, 2005 की धारा 12 A के संदर्भ में निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12 A के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगर व्यक्ति/संस्था का विवरण निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण से मेल खाता है तो लेनदेन न किया जाए।

ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग पर और FIU-इंडिया द्वारा जारी निर्दिष्ट सूचियों, लागू अन्य UNSCR और UAPA, 1967 के तहत प्रासंगिक शेड्यूल के अनुसार निरंतर आधार पर जांच की जाएगी, और जहां मिलान की पहचान की जाती है वहां कोई लेनदेन नहीं किया जाएगा।

किसी मिलान की स्थिति में या जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि निधि या संपत्ति WMD अधिनियम की धारा 12A के दायरे में आती है, कंपनी तुरंत लेनदेन पर रोक लगाएगी, इसका पूरा विवरण केंद्रीय नोडल अधिकारी (निदेशक, FIU-IND) को रिपोर्ट करेगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति को फ्रीज करने या अनफ्रीज करने से संबंधित सभी निर्देशों का तुरंत पालन करेगी।

कंपनी हर दिन 'UNSCR 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची' का सत्यापन करेगी, ताकि सूची में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखा जा सके और समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर, 2017 पर सुरक्षा परिषद के संकल्प के कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

### **KYC का अपडेट/आवधिक अपडेशन**

KYC की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, कंपनी KYC के आवधिक अपडेशन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि CDD के तहत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को अपडेट और प्रासंगिक रखा जाएगा, खासकर जहां उच्च जोखिम है।

कंपनी खाते को खोलने की तारीख/पिछले KYC अपडेशन की तारीख से, नीचे दिए गए ग्रीड के अनुसार और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए KYC का आवधिक अपडेशन करेगी:

जोखिम श्रेणी	KYC का आवधिक अपडेट
उच्च	2 साल
मध्यम	8 साल
कम	10 साल

(i) व्यक्ति:



**KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** ऐसे मामले में, कंपनी Aavas ऋण ऐप के माध्यम से या कंपनी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके Aavas वेबसाइट पर ऋण खाते में लॉग इन करके ग्राहक से इस संबंध में एक स्व-घोषणा प्राप्त करेगी।

**पते या KYC जानकारी में बदलाव:** ऐसे मामले में, कंपनी पते के प्रमाण के लिए अपडेट/आवधिक अपडेशन के समय ग्राहक द्वारा घोषित OVD, डीमड OVD या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त करेगी। ग्राहक व्यक्तिगत रूप से कंपनी की किसी भी शाखा में जाकर OVD की एक प्रति जमा कर सकते हैं।

कंपनी अपडेशन/आवधिक अपडेशन के लिए आधार OTP आधारित ई-KYC का इस्तेमाल गैर-आमने-सामने मोड में भी कर सकती है। वर्तमान पते की घोषणा, अगर वर्तमान पता आधार के पते से भिन्न है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही हो जो ग्राहक की प्रोफाइल में उपलब्ध है।

**(ii) व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:**

**KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** ऐसे मामले में, कंपनी Aavas ऋण ऐप के माध्यम से या कंपनी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल id का इस्तेमाल करके Aavas वेबसाइट पर ऋण खाते में लॉग इन करके ग्राहक से इस संबंध में एक स्व-घोषणा प्राप्त करेगी। इसके अलावा, कंपनी इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि उनके पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामित्व की जानकारी सटीक है और अगर आवश्यक हो, तो इसे यथासंभव अपडेट बनाए रखने के लिए इसे अपडेट किया जाएगा।

**KYC जानकारी में बदलाव:** ऐसे मामले में, कंपनी नए ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाएगी।

**(iii) अतिरिक्त उपाय:** उपरोक्त के अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि:

- वर्तमान CDD मानकों के अनुसार ग्राहक के KYC दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अगर कंपनी के पास उपलब्ध CDD दस्तावेजों की वैधता KYC के आवधिक अपडेशन के समय समाप्त हो गई है, तो कंपनी नए ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाएगी।
- अगर उपलब्ध हो तो कंपनी जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से ग्राहक के PAN विवरण को सत्यापित करेगी।
- अपडेशन/आवधिक अपडेशन के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित संबंधित दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए ग्राहक को पावती प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि KYC के अपडेशन/आवधिक अपडेशन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों को कंपनी के अभिलेख/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किया जाए और ग्राहक को KYC विवरण के अपडेशन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना प्रदान की जाए।
- KYC के अपडेशन/आवधिक अपडेशन की सुविधा सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
- कंपनी ग्राहकों को सूचित करेगी कि PML नियमों का अनुपालन करने के लिए, व्यावसायिक संबंध/खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय और उसके बाद, आवश्यकतानुसार, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अपडेट जानकारी होने पर, ग्राहकों को कंपनी के अभिलेख को अपडेट करने के उद्देश्य से ऐसे दस्तावेजों की अपडेट जानकारी 30 दिनों के भीतर कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी।



- f) KYC के आवधिक अपडेशन के लिए उचित सूचना (1 जनवरी, 2026 से प्रभावी)
- नियत तारीख से पहले कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं (1 पत्र द्वारा) और नियत तारीख के बाद कम से कम 3 अनुस्मारक (1 पत्र द्वारा) ग्राहकों को भेजे जाएंगे।
  - ऐसी सूचनाएं/अनुस्मारक ऑडिट ट्रेल के लिए विधिवत दर्ज किए जाएंगे।
  - सूचना / रिमाइंडर पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, KYC को अपडेट करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले निर्देश, आवश्यकता होने पर सहायता प्राप्त करने के लिए एस्केलेशन तंत्र, तथा समय पर KYC अपडेट न करने के संभावित परिणाम शामिल हो सकते हैं।
- g) KYC का आवधिक अपडेशन UCIC स्तर पर किया जाएगा।

- (iv) मौजूदा ग्राहकों के मामले में, कंपनी PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 60 को, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक प्राप्त करेगी, अन्यथा ग्राहक द्वारा PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 60 जमा करने तक कंपनी अकाउंट में संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर देगी।

बशर्ते कि अकाउंट के संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने से पहले, कंपनी ग्राहक को एक सुलभ नोटिस और सुने जाने का उचित अवसर देगी। इसके अतिरिक्त, आंतरिक नीति के अनुसार, उन ग्राहकों के अकाउंट के निरंतर संचालन के लिए उपयुक्त छूट दी जाएगी जो चोट, बीमारी या दुर्बलता या वृद्धावस्था के कारण या अन्य समान कारणों से PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 60 प्रदान करने में असमर्थ हैं। हालांकि, ऐसे अकाउंट उन्नत निगरानी के अधीन रहेंगे।

यह भी कि अगर मौजूदा अकाउंट-आधारित संबंध वाला ग्राहक कंपनी को लिखित रूप में बताता है कि वह अपना PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं करना चाहता, तो कंपनी अकाउंट बंद कर देगी और ग्राहक की पहचान ग्राहक पर लागू पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करके स्थापित करने के बाद, अकाउंट से संबंधित सभी देयताओं का उचित रूप से निपटान किया जाएगा।

इस अनुभाग के उद्देश्य से, किसी अकाउंट के संबंध में “संचालन का अस्थायी रूप से बंद होना” का अर्थ है उस अकाउंट से संबंधित सभी लेन-देन या गतिविधियों का अस्थायी निलंबन, जब तक कि ग्राहक इस अनुभाग के प्रावधानों का पालन नहीं करता।

## 9. KYC नीति का अनुपालन:

- KYC अनुपालन के उद्देश्य से 'वरिष्ठ प्रबंधन' का अर्थ होगा:
  - KYC नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा समय-समय पर जारी KYC/ AML पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चीफ क्रेडिट ऑफिसर।
  - उधारकर्ताओं के सभी KYC अभिलेख बनाए रखने के लिए संचालन प्रमुख।
- नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदारी का आवंटन।
- कंपनी अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं, जिनमें कानूनी और नियामक आवश्यकताएं शामिल हैं, के अनुपालन कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करेगी।

- (iv) आंतरिक ऑडिटर को KYC/धन शोधन विरोधी (AML) नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर ऑडिट समिति को त्रैमासिक अपडेट देना होगा।
- (v) इस नीति के अनुसार KYC अनुपालन की स्थिति के बारे में ऑडिट समिति को त्रैमासिक आधार पर एक नोट के रूप में रिपोर्ट दी जाएगी।
- (vi) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि KYC मानकों के अनुपालन का निर्धारण करने वाले निर्णय लेने के कार्य आउटसोर्स न किए जाएं।

## 10. उन्नत उचित सावधानी प्रक्रिया (EDD)

### 10A. नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक ऑनबोर्डिंग के मामले में EDD:

नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग में वह ग्राहक ऑनबोर्डिंग शामिल होगी, जिसमें ग्राहक से शारीरिक रूप से मुलाकात किए बिना या V-CIP के माध्यम से ऑनबोर्डिंग की जाती है। नॉन-फेस-टू-फेस में डिजिटल चैनलों जैसे CKYCR, DigiLocker, समकक्ष ई-दस्तावेज़ आदि का इस्तेमाल, तथा गैर-डिजिटल माध्यम जैसे NRIs और PIOs के लिए अनुमत अतिरिक्त प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (OVD) की प्रति प्राप्त करना शामिल होगा, जहां ग्राहक के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता है।

नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित EDD उपाय अपनाए जाएंगे।

- (i) रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए ग्राहक को पहला विकल्प V-CIP प्रदान किया जाएगा।
- (ii) धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से, CDD के बाद ऐसे अकाउंट्स के लिए लेन-देन OTP, लेन-देन अपडेट आदि के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए जाएंगे। लेन-देन केवल उसी मोबाइल नंबर से अनुमत होंगे, जिसका इस्तेमाल अकाउंट खोलते समय किया गया हो।
- (iii) वर्तमान पते के प्रमाण प्राप्त करने के अतिरिक्त, कंपनी ऋण के संवितरण से पहले पते के सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलीवरी आदि जैसे सकारात्मक पुष्टिकरण के माध्यम से वर्तमान पते का सत्यापन करेगी।
- (iv) ऐसे मामलों में PAN अनिवार्य होगा और उसे जारी करने वाले प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- (v) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे अकाउंट्स में पहला लेन-देन ग्राहक के मौजूदा KYC-अनुपालन बैंक अकाउंट से क्रेडिट के रूप में हो।
- (vi) ऐसे ग्राहकों को उच्च जोखिम श्रेणी के ग्राहकों में वर्गीकृत किया जाएगा और नॉन-फेस-टू-फेस मोड में खोले गए अकाउंट्स को तब तक उन्नत निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा, जब तक कि ग्राहक की पहचान फेस-टू-फेस तरीके से या V-CIP के माध्यम से सत्यापित न हो जाए।

### 10B. राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों (PEPs) के अकाउंट्स:

- (i) कंपनी के पास PEPs (चाहे ग्राहक के रूप में या लाभार्थी स्वामी के रूप में) के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि सामान्य ग्राहक उचित सावधानी के अतिरिक्त:
  - a) कंपनी के पास यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां हों कि ग्राहक या लाभार्थी स्वामी PEP है या नहीं;
  - b) निधि / संपत्ति के स्रोत की स्थापना के लिए कंपनी द्वारा उचित उपाय किए जाएं;
  - c) PEP के लिए अकाउंट खोलने की स्वीकृति वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त की जाए।

- d) ऐसे सभी अकाउंट्स को निरंतर आधार पर उन्नत निगरानी के अंतर्गत रखा जाए;
- e) अगर किसी मौजूदा ग्राहक या किसी मौजूदा अकाउंट का लाभार्थी स्वामी बाद में PEP बन जाता है, तो व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की स्वीकृति प्राप्त की जाए;
- (ii) ये निर्देश PEP के परिवार के सदस्यों या निकट सहयोगियों पर भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के उद्देश्य से, “PEPs वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक पद सौंपे गए हैं या सौंपे जा रहे हैं, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य-स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी तथा प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारी शामिल हैं।”

#### **10C. पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक के अकाउंट**

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि पेशेवर मध्यस्थों के माध्यम से ग्राहक के अकाउंट खोलते समय:

- (i) जब किसी एक ग्राहक की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा ग्राहक अकाउंट खोला जाता है, तो ग्राहक की पहचान की जाएगी।
- (ii) कंपनी के पास म्यूचुअल फंड, पेंशन निधि या अन्य प्रकार की निधि जैसी संस्थाओं की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा प्रबंधित ‘पूल’ अकाउंट रखने का विकल्प होगा।
- (iii) कंपनी ऐसे पेशेवर मध्यस्थों के अकाउंट नहीं खोलेगी जो किसी ग्राहक गोपनीयता से बंधे हों जो कि HFC को ग्राहक का विवरण बताने से रोकती हो।
- (iv) उन सभी लाभार्थी स्वामी की पहचान की जाएगी जहां मध्यस्थों द्वारा रखी गई निधि कंपनी के स्तर पर आपस में मिली हुई नहीं है और वहां सब अकाउंट मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक एक लाभार्थी स्वामी से संबंधित है या जहां ऐसी निधि HFC के स्तर पर आपस में मिली हुई है, वहां भी कंपनी असली लाभार्थी स्वामियों की तलाश करेगी।
- (v) कंपनी अपने विवेकानुसार मध्यस्थ द्वारा की गई CDD पर भरोसा कर सकती है, बशर्ते कि मध्यस्थ एक विनियमित और पर्यवेक्षित इकाई हो तथा उसके पास ग्राहकों की KYC आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पर्याप्त सिस्टम मौजूद हों।
- (vi) ग्राहक को जानने की अंतिम ज़िम्मेदारी कंपनी की होगी।

#### **10D. FATE सिफारिशों को लागू न करने या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले क्षेत्राधिकार**

कंपनी समय-समय पर RBI द्वारा प्रसारित FATE स्टेटमेंट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर विचार करेगी, ताकि उन क्षेत्राधिकारों की पहचान की जा सके जो FATE सिफारिशों को लागू नहीं करते या पर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं। कंपनी ऐसे क्षेत्राधिकारों से जुड़े प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों (जिसमें वित्तीय संस्थान शामिल हैं) के साथ व्यवसाय संबंधों और लेन-देन पर आंके गए जोखिम के अनुरूप उन्नत उचित सावधानी उपाय लागू करेगी और ऐसे संबंधों तथा लेन-देन पर विशेष ध्यान देगी। कंपनी इन लेन-देन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य की जांच करेगी, अपने निष्कर्षों का लिखित अभिलेख सहायक दस्तावेजों के साथ बनाए रखेगी, और अनुरोध मिलने पर इन्हें RBI या अन्य संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराएगी, बिना वैध व्यापार या व्यवसाय गतिविधियों को प्रतिबंधित किए।

#### **11. अभिलेख प्रबंधन**

कंपनी PML अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाएगी।

- (i) कंपनी और ग्राहकों के बीच सभी लेन-देन के अभिलेख लेन-देन की तारीख से 5 साल की अवधि तक बनाए रखे जाएंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की राशि और जिस करेंसी में यह किया गया था, लेन-देन की तारीख और लेन-देन में शामिल पक्ष शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।
- (ii) अकाउंट खोलते समय और व्यवसाय संबंध के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित अभिलेख तथा DARPAN पोर्टल पर पंजीकरण के रिकॉर्ड (अगर कोई हों) आदि, व्यवसाय संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे।

कंपनी अकाउंट जानकारी के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक सिस्टम विकसित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुरोध किए जाने पर डेटा आसानी और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। ऐसे अभिलेख कागजी या डिजिटल फॉर्मेट में रखे जा सकते हैं और अनुरोध मिलने पर सक्षम प्राधिकरणों को तुरंत उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

## **12. अन्य सामान्य दिशानिर्देश**

### **(i) प्रधान अधिकारी की नियुक्ति**

कंपनी के निदेशक मंडल ने ‘मुख्य अनुपालन अधिकारी’ को प्रधान अधिकारी के रूप में नामित किया है। प्रधान अधिकारी सभी लेन-देन की निगरानी और रिपोर्टिंग तथा कानून के तहत आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण FIU-IND और RBI को सूचित किया जाएगा।

### **(ii) नामित निदेशक की नियुक्ति**

कंपनी के निदेशक मंडल ने ‘प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ (MD & CEO) को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नामित निदेशक PML अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण FIU-IND और RBI को सूचित किया जाएगा।

### **(iii) गोपनीयता दायित्व और जानकारी साझा करना:**

- a) कंपनी, कंपनी और ग्राहक के बीच अनुबंधात्मक संबंध से उत्पन्न ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगी।
- b) अकाउंट खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और उसका विवरण क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।
- c) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/जानकारी के अनुरोधों पर विचार करते समय, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि मांगी जा रही जानकारी ऐसी प्रकृति की न हो जो लेन-देन की गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करे।
- d) उक्त नियम के अपवाद निम्नलिखित होंगे:
  - जहां खुलासा कानून के दबाव में किया गया हो

- जहां जनता के प्रति खुलासा करना कर्तव्य हो,
- जहां कंपनी के हित में खुलासा आवश्यक हो और
- जहां खुलासा ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया गया हो।

**(iv) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन**

कंपनी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, उसके नियमों तथा समय-समय पर RBI या गृह मंत्रालय द्वारा जारी किसी भी संबंधित निर्देश या संचार का अनुपालन करेगी।

**(v) CDD प्रक्रिया और सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) के साथ KYC जानकारी साझा करना**

- a) कंपनी ग्राहक के KYC अभिलेख कैप्चर करेगी और ग्राहक के साथ अकाउंट-आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर, नियमों में बताए गए तरीके के अनुसार, ‘व्यक्ति’ और ‘कानूनी इकाई’ (LEs) के लिए तैयार किए गए KYC टेम्पलेट्स के अनुसार CKYCR पर अपलोड करेगी।

KYC डेटा अपलोड करने के लिए ऑपरेशनल दिशानिर्देश भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की सेंट्रल रजिस्ट्री (CERSAI) द्वारा जारी किए जाते हैं।

- b) एक बार CKYCR द्वारा KYC पहचानकर्ता जनरेट होने के बाद, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वही संबंधित व्यक्ति / कानूनी इकाई को, जैसा भी मामला हो, सूचित किया जाए।
- c) जब भी कंपनी मौजूदा ग्राहक से अतिरिक्त या अपडेटेड जानकारी प्राप्त करती है, तो वह अपडेटेड जानकारी सात दिनों के भीतर CKYCR को उपलब्ध कराएगी।
- d) अकाउंट-आधारित संबंध स्थापित करने, अपडेशन/आवधिक अपडेशन के उद्देश्य से, कंपनी ग्राहक से KYC पहचानकर्ता मांगेगी, या अगर CKYCR से उपलब्ध हो तो उसे प्राप्त करेगी और KYC पहचानकर्ता का इस्तेमाल करके CKYCR से ऑनलाइन KYC अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, और ग्राहक को वही KYC अभिलेख या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज़ या विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि –
- CKYCR के अभिलेख में मौजूद ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव न हो; या
  - प्राप्त KYC रिकॉर्ड या जानकारी अधूरी हो या वर्तमान लागू KYC मानदंडों के अनुसार न हो; या
  - CKYCR से डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो; या
  - ग्राहक की पहचान या पते (वर्तमान पते सहित) को सत्यापित करने, या उन्नत उचित सावधानी करने, या ग्राहक की उपयुक्त जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए कंपनी इसे आवश्यक समझे।

**(vi) विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता**

NBFC FATCA और CRS के तहत आयकर नियम 114F, 114G और 114H के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जिसमें रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति निर्धारित करना शामिल है। यह आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करेगी, FEDAI संदर्भ दरों का इस्तेमाल करके रिपोर्ट करने योग्य अकाउंट की पहचान करने के लिए उचित सावधानी करेगी, एक IT फ्रेमवर्क के माध्यम से अभिलेख बनाए रखेगी, और नामित निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित



ऑनलाइन रिपोर्ट (फ़ॉर्म 61B या शून्य रिपोर्ट) जमा करेगा। एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति अनुपालन की देखरेख करेगी, और NBFC CDBT द्वारा जारी सभी अपडेट किए गए निर्देशों, मार्गदर्शन नोटों और प्रेस विज्ञप्तियों का पालन करेगी।

**(vii) अकाउंट्स का संचालन और मनी म्यूल्स**

कंपनी धोखाधड़ी योजनाओं में अकाउंट्स के “मनी म्यूल्स” के रूप में इस्तेमाल को रोकने के लिए अकाउंट खोलने और लेन-देन की निगरानी हेतु सख्त प्रक्रियाओं का पालन करेगी। ऐसे अकाउंट्स की पहचान के लिए उचित सावधानी और निरंतर निगरानी की जाएगी, और संदिग्ध लेन-देन की FIU-IND को रिपोर्टिंग सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

**(viii) नई प्रौद्योगिकियों का परिचय**

कंपनी उन ML/TF जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करेगी जो नए उत्पादों के विकास और नई व्यावसायिक प्रथाओं, जिसमें नई वितरण प्रणालियां शामिल हैं, के संबंध में तथा नए व पहले से मौजूद दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए नई या विकसित होती तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी: (a) ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सर्विस, प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या इस्तेमाल से पहले ML/TF जोखिम आकलन किया जाए; और (b) उपयुक्त EDD उपायों और लेन-देन निगरानी आदि के माध्यम से जोखिमों के प्रबंधन और शमन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

**(ix) PAN का उल्लेख**

आयकर नियम 114B के प्रावधानों के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं और बैंकों पर लागू होते हैं, लेन-देन करते समय ग्राहकों का स्थायी खाता संख्या (PAN) या उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के पास PAN या उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ नहीं है, उनसे फ़ॉर्म 60 प्राप्त किया जाएगा।

**(x) कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण**

- a) कंपनी पर्याप्त स्क्रीनिंग तंत्र लागू करेगी, जिसमें अपने कर्मचारी को जानें / कर्मचारी नीति शामिल होगी, जिसे कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि KYC/AML/CFT मामलों से जुड़े या उनमें तैनात कर्मचारी उच्च ईमानदारी और नैतिक मानकों वाले हों, वर्तमान KYC/AML/CFT मानकों की अच्छी समझ रखते हों, प्रभावी संचार कौशल रखते हों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते KYC/AML/CFT परिदृश्य के साथ तालमेल रखने में सक्षम हों, साथ ही ऐसा वातावरण विकसित किया जाए जो कर्मचारियों के बीच खुला संवाद और उच्च ईमानदारी को बढ़ावा दे।
- b) निरंतर कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारी सदस्य KYC/AML उपाय नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों। प्रशिक्षण का फोकस फ्रंटलाइन कर्मचारी, अनुपालन कर्मचारी और नए ग्राहकों से जुड़े कर्मचारी के लिए अलग-अलग होना चाहिए। फ्रंट डेस्क कर्मचारी को विशेष रूप से ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। में ऐसे उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए जो KYC/AML उपायों, नीतियों, नियमों और संबंधित विषयों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और पूरी तरह अनुभवी हों।



**अनुलग्नक - A**  
**डिजिटल KYC प्रक्रिया**

- (i) कंपनी जहां तक संभव हो डिजिटल KYC सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करेगी, जिसे ग्राहकों के KYC करने हेतु ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर उपलब्ध कराया जाएगा और KYC प्रक्रिया केवल कंपनी के इस प्रमाणित एप्लिकेशन के माध्यम से ही की जाएगी।
- (ii) कंपनी एप्लिकेशन की पहुंच को नियंत्रित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत व्यक्ति इसका इस्तेमाल न करें। अधिकृत अधिकारी एप्लिकेशन तक केवल लॉग इन-id और पासवर्ड या लाइव OTP या टाइम OTP नियंत्रित तंत्र के माध्यम से ही पहुंचेंगे, जो कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- (iii) ग्राहक, KYC के उद्देश्य से, कंपनी के अधिकृत अधिकारी के स्थान पर जाएगा या इसके विपरीत। OVD की मूल प्रति ग्राहक के पास होना चाहिए।
- (iv) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक की लाइव फ़ोटो अधिकृत अधिकारी द्वारा ली जाए और वही फ़ोटो ग्राहक आवेदन पत्र (CAF) में शामिल की जाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी का सिस्टम एप्लिकेशन ग्राहक की खींची गई लाइव फ़ोटो पर एक स्पष्ट वॉटरमार्क लगाएगा, जिसमें CAF नंबर, GPS निर्देशांक, अधिकृत अधिकारी का नाम, यूनिक कर्मचारी कोड (कंपनी द्वारा आवंटित) और तारीख (DD:MM:YYYY) के साथ समय (HH:MM:SS) का विवरण दर्ज होगा।
- (v) कंपनी के एप्लिकेशन में यह फ़ीचर होना चाहिए कि वह केवल ग्राहक की लाइव फ़ोटो ही खींचे और ग्राहक की किसी भी प्रिंटेड फ़ोटो या वीडियो से ली गई फ़ोटो को स्वीकार न करे। ग्राहक की लाइव फ़ोटो कैप्चर करते समय उसके पीछे का बैकग्राउंड सफेद रंग का होना चाहिए और फ़ोटो कैप्चर करते समय फ्रेम में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए।
- (vi) इसी प्रकार, मूल OVD की लाइव फ़ोटो या आधार के कब्जे के प्रमाण की लाइव फ़ोटो, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता (क्षैतिज रूप से रखी हुई), ऊपर से लंबवत कैप्चर की जाएगी और ऊपर उल्लेखित अनुसार पढ़ने योग्य रूप में वॉटरमार्क किया जाएगा। मूल दस्तावेज़ों की लाइव फ़ोटो कैप्चर करते समय मोबाइल डिवाइस में कोई झुकाव या तिरछापन नहीं होना चाहिए।
- (vii) ग्राहक और उसके मूल दस्तावेज़ों की लाइव फ़ोटो उचित प्रकाश में कैप्चर की जानी चाहिए ताकि वे स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य और पहचानने योग्य हों।
- (viii) इसके बाद, CAF में सभी प्रविष्टियां ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ों और जानकारी के अनुसार भरी जाएंगी। उन दस्तावेज़ों में जिनमें क्लिक रिस्पॉन्स (QR) कोड उपलब्ध है, विवरणों को मैनुअल रूप से भरने के बजाय QR कोड को स्कैन करके अपने आप भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, UIDAI से डाउनलोड किए गए फ़िज़िकल आधार/ई-आधार के मामले में जहां QR कोड उपलब्ध है, वहां आधार/ई-आधार पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता जैसे विवरण अपने आप भरे जा सकते हैं।
- (ix) एक बार ऊपर बताई गई प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, ग्राहक के अपने मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) संदेश भेजा जाएगा, जिसमें यह टेक्स्ट होगी कि OTP साझा करने से पहले कृपया फ़ॉर्म में भरे गए विवरणों को सत्यापित करें। OTP के सफल सत्यापन पर इसे CAF पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। हालांकि, अगर ग्राहक के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए उसके परिवार/रिश्तेदारों/परिचित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे CAF में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी को यह जांचना होगा कि ग्राहक के हस्ताक्षर में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं है।

- (x) अधिकृत अधिकारी ग्राहक और मूल दस्तावेज़ की लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के संबंध में एक घोषणा प्रदान करेगा। इस उद्देश्य के लिए, अधिकृत अधिकारी का सत्यापन वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से किया जाएगा, जो कंपनी में रजिस्टर्ड उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP के सफल सत्यापन पर इसे घोषणा पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। इस अधिकृत अधिकारी की घोषणा में अधिकृत अधिकारी की लाइव फ़ोटो भी कैप्चर की जाएगी।
- (xi) इन सभी गतिविधियों के बाद, एप्लिकेशन प्रक्रिया के पूरा होने और कंपनी के सक्रियण अधिकारी को सक्रियण अनुरोध जमा किए जाने के बारे में जानकारी देगा, और साथ ही इस प्रक्रिया की एक लेनदेन id या संदर्भ-id नंबर भी जनरेट करेगा। अधिकृत अधिकारी भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन id/संदर्भ-id नंबर से संबंधित विवरण ग्राहक को सूचित करेगा।
- (xii) कंपनी का अधिकृत अधिकारी जांच और सत्यापन करेगा कि a) दस्तावेज़ की फ़ोटो में उपलब्ध जानकारी CAF में अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी से मेल खाती है। b) ग्राहक की लाइव फ़ोटो दस्तावेज़ में उपलब्ध फ़ोटो से मेल खाती है; और c) CAF में सभी आवश्यक विवरण, जिनमें अनिवार्य फ़ील्ड शामिल हैं, सही तरीके से भरे गए हैं। सफल सत्यापन पर, CAF पर कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो CAF का प्रिंट निकालेंगे, उपयुक्त स्थान पर ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लेगा, फिर उसे स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करेंगे। मूल की कागजी प्रति ग्राहक को वापस की जा सकती है।

**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि:** मार्च 10, 2012

**बोर्ड द्वारा अंतिम समीक्षा/संशोधन की तिथि:** फरवरी 05, 2026

**संस्करण:** 1.5